



प्रकाशन का 47 वां वर्ष

शैल

ई-पेपर

प्रदेश का पहला ऑनलाइन साप्ताहिक

निष्पक्ष

एवं

निर्भीक

साप्ताहिक

समाचार



www.facebook.com/shailsamachar

वर्ष 47 अंक-31 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पंजीकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 25-01 अगस्त 2022 मूल्य पांच रूपए

प्रबोध सक्सेना की पदोन्नति में सीलड कवर प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई गयी

शिमला/शैल। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के दावे करने वाली जयराम सरकार की नीयत और नीति दोनों पर इसी भ्रष्टाचार को लेकर अब सवाल उठने शुरू हो गये हैं। यह सवाल जयराम सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना की पदोन्नति को लेकर उठ रहे हैं। सरकार में अभी मुख्य सचिव राम सुभग को हटाकर उनके स्थान पर आर.डी. धीमान को तैनाती दी है। इस बदलाव के लिये अक्टूबर 2021 में प्रधानमंत्री कार्यालय से आयी शिकायत को कारण माना जा रहा है। यह सवाल उठ रहा है कि यदि प्रधानमंत्री कार्यालय से आये इस पत्र पर 10 माह बाद कारवाई हुई है तो प्रबोध सक्सेना के मामले में कारवाई होने में कितना समय लगेगा। स्मरणीय है कि प्रबोध सक्सेना जब 2-4-2008 से 31-7-2010 तक केन्द्र में प्रतिनियुक्ति पर थे और वित्त मंत्रालय के विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड में बतौर निदेशक तैनात थे तब आई एन एक्स मीडिया प्रकरण घटा था। इस प्रकरण पर 15-5-2017 को सी बी आई ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत अपराधिक मामला दर्ज किया था। इसमें प्रबोध सक्सेना समेत वित्त मंत्रालय के चार अधिकारी पी चिदंबरम के साथ अभियुक्त हैं। सभी जमानत पर हैं। इस मामले में 2019 में जब पी चिदंबरम की गिरफ्तारी हुई थी तब कांग्रेस ने देश भर में इस पर विरोध जताया था। हिमाचल विधानसभा में भी कांग्रेस ने इस गिरफ्तारी पर विरोध जताते हुए सदन से वाकआउट किया था। तब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस गिरफ्तारी को जायज ठहराते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का वह फैसला सदन में पढ़ा था जिसमें चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज किया गया था। सदन में यह फैसला पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि मुख्यमंत्री को तब यह पूरी जानकारी थी कि उनके वित्त सचिव भी इसमें सह अभियुक्त हैं। सह अभियुक्त होने के कारण उनका नाम संदिग्ध आचरण श्रेणी के

- सरकार की गार्ड लाईन्स और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की अनदेखी क्यों?
- क्या सीबीआई में दर्ज मामले को सरकार गंभीर नहीं मानती
- क्या विधानसभा में मामला गूँजने के बाद भी मुख्यमंत्री को इसकी पूरी जानकारी नहीं थी?
- क्या भ्रष्टाचार को संरक्षण देना सरकार की नीयत और नीति बन गया है?

अधिकारियों की सूची में आ जाता है और इसके कारण उन्हें किसी भी संवेदनशील विभाग की जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती।

संदिग्ध आचरण श्रेणी में किस तरह के कर्मचारियों/अधिकारियों के नाम शामिल रहेंगे और इसका संबंधित लोगों पर प्रभाव क्या रहेगा इसको लेकर केंद्र और राज्य सरकार लगातार निर्देश जारी करती आ रही है। 1961 में लोकसभा और राज्यसभा में इस संदर्भ में आये एक वक्तव्य के बाद यह निर्देश जारी हुये थे तब से लेकर अब तक इन निर्देशों को लगातार कड़ा किया जाता रहा है। प्रदेश उच्च न्यायालय में CWP 4916/2010, Sher Singh Vs State of H.P. & others में प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार भी लगाई है। इसके बाद 23-4-2011 को प्रधान सचिव गृह एवं सतर्कता ने सभी विभागाध्यक्षों, निगमों/बोर्डों के प्रबन्ध निदेशकों और सरकार के प्रशासनिक सचिवों को पत्र लिखकर निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा है। इस पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि संदिग्ध आचरण श्रेणी में नाम आने का प्रभाव क्या होगा। बल्की CWPIL 111/2017 में भी उच्च न्यायालय ने इसका कड़ा संज्ञान लिया है। इन निर्देशों के चलते जब भी ऐसे किसी कर्मचारी अधिकारी का मामला पदोन्नति के लिये आयेगा तब उस पर विचार करने के बाद उसे

सीलड कवर में तब तक रख दिया जायेगा जब तक कि दर्ज हुये मामले का फैसला नहीं आ जाता है। सीलड कवर की प्रक्रिया किस स्टेज से शुरू हो जायेगी इसे सर्वोच्च न्यायालय ने 12 अप्रैल 1983 को यूनियन ऑफ इंडिया बनाम के.वाई.कुमार मामले में पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है।

इसी संदर्भ में भारत सरकार में भी निर्देश जारी किए हुये हैं। प्रदेश सरकार ने भी इन निर्देशों को स्वीकार करते हुये 27-10-2017 से सीलड कवर प्रक्रिया को अपना रखा है। बल्कि प्रबोध सक्सेना जब वह प्रधान सचिव सतर्कता थे तब स्वयं इस आशय का प्रस्ताव मंत्रिमण्डल में लेकर गये थे। आज प्रदेश सरकार के सभी कर्मचारियों/अधिकारियों के मामलों में सीलड कवर प्रक्रिया लागू हो रही है। लेकिन प्रबोध सक्सेना अकेले ऐसे अधिकारी हैं जो इसमें अपवाद बने हुए हैं। अपराधिक मामला चलते हुए भी उन्हें अतिरिक्त मुख्य सचिव पदोन्नत कर दिया गया है। आई ए एस अधिकारियों की पदोन्नति के लिये सिविल सर्विस बोर्ड गठित किया जाता है। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे निर्देश जारी कर रखे हैं। पदोन्नति पर विचार करने से पहले सतर्कता विभाग से यह प्रमाण पत्र लिया जाता है कि संबंधित अधिकारी के खिलाफ कोई मामला तो लंबित नहीं है। प्रबोध सक्सेना के खिलाफ सी बी आई द्वारा 2017 में दर्ज किया गया मामला अब तक लंबित

है बल्कि फरवरी 2020 से वह इसी

मामले में जमानत पर भी हैं। प्रदेश विधानसभा में भी एक समय गूँज चुके इस मामले की जानकारी मुख्यमंत्री से लेकर पूरे प्रशासन तक की थी। यह जानकारी होते हुये भी सी बी आई से प्रमाण पत्र क्यों नहीं लिया गया? क्या हिमाचल सरकार सी बी आई द्वारा दिल्ली में प्रदेश के किसी अधिकारी के खिलाफ दर्ज किये गये मामलों को यहां पर प्रभावी नहीं मानती। इन दिनों यह मामला प्रदेश के कर्मचारियों और प्रशासनिक हल्कों में विशेष चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रदेश की राजनीति पर भी इसका प्रभाव पड़ना तय है क्योंकि मुख्यमंत्री की प्रशासनिक दक्षता के आकलन का भी यह बड़ा आधार सिद्ध होगा।

The main, purpose of the list of ODI, is as follows:

- (i) to ensure that officers appearing on the list of ODI are not posted to sensitive assignments,
- (ii) to withhold the certificate of integrity,
- (iii) to ensure non-promotion, after consideration of the case of the official, to a service, grade or post to which one is eligible for promotion.
- (iv) to consider compulsory retirement in the public interest (otherwise then as penalty) in accordance with the orders issued by the government.
- (v) to consider refusal of extension in service or re-employment either under Government or in PSUs and
- (vi) For non-sponsoring of names of such officials for foreign assignment / deputation / foreign trainings etc.

सर्वोच्च न्यायालय का फैसला

The question in the present case is whether the decision in Jankiraman was correctly applied in the present situation" fit Jankiraman itself, it has been pointed out that the sealed cover procedure is to be followed where a government servant is recommended for promotion by the D.P.C. but before he is actually promoted if he is either placed under suspension or disciplinary proceedings are taken against him or a decision has been taken to initiate proceedings or criminal prosecution is launched or sanction for Such prosecution has been issued or decision to accord such sanction is taken'. Thus the sealed cover procedure is attracted even when a decision has been taken to initiate disciplinary proceedings, or decision to accord sanction for prosecution is taken or criminal prosecution is launched or..... decision to accord sanction for prosecution is taken. The object of following the sealed cover procedure has been indicated recently in the decision in Civil Appeal No. 1240 of 1993 Delhi Development Authority, v. H.C. Khurana pronounced on April 7, 1993. and need not be reiterated.

राज्यपाल चार अगस्त को हरियाली उत्सव का शुभारंभ करेंगे

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा चार अगस्त से जिला मुख्यालयों तथा उपमंडल स्तर तक हरियाली उत्सव के नाम से पौधारोपण अभियान का शुभारंभ किया जाएगा। राज्यपाल एवं राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर



मंडी जिला के थुनाग से इस अभियान का शुभारंभ करेंगे। इसके अतिरिक्त शिमला जिला के मशोबरा से छः अगस्त को प्रदेश के 200 चयनित विद्यालयों में पाठशाला आयुष वाटिका कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा।

राज्यपाल ने नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी उपायुक्तों को जिला स्तरीय रेडक्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष भी हैं के साथ आयोजित बैठक में यह जानकारी दी।

राज्य रेडक्रॉस अस्पताल कल्याण अनुभाग की अध्यक्ष एवं भारतीय रेड क्रॉस प्रबंधन समिति की सदस्य डॉ. साधना ठाकुर भी वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुईं। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए आम नागरिकों और विद्यार्थियों की सहभागिता को केंद्र में रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अन्तर्गत पौधारोपण करना तथा पौधों का संरक्षण कर उन्हें पूर्ण रूप से विकसित कर पेड़ बनने तक उनका संरक्षण करने के मूल सिद्धांत पर कार्य किया जाएगा। इस प्रकार हम प्रकृति के प्रति अपना आभार व्यक्त

कर सकते हैं। उन्होंने लोगों से इस अभियान में गंभीरता के साथ अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने और पौधों का सम्पूर्ण विकास सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पौधारोपण क्षमता और उनकी व्यवहारिकता को ध्यान में रखते हुए

वाटिका कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध पौधों में से लगभग 50 प्रतिशत पौधे चिन्हित विद्यालय परिसरों में लगाये जाएंगे, जहां संबंधित स्कूल प्रबंधन व्यक्तिगत रूप से विद्यार्थियों को पौधों के संरक्षण और रख-रखाव की जिम्मेदारी देगा। विद्यालय के नोडल अध्यापक द्वारा रजिस्टर में पौधों का रिकॉर्ड रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि शेष पौधे विद्यार्थियों के बीच वितरित किए जाएंगे और उन्हें घर या उनकी पसंद के किसी दूसरे स्थान पर लगाने के निर्देश दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अध्यापक और नोडल अधिकारी समय-समय पर विद्यार्थियों द्वारा रोपित किए गए पौधों की प्रगति की रिपोर्ट ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस दिशा में शिक्षा, वन एवं आयुष विभाग अपनी फील्ड एजेंसियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करेंगे।

डॉ. साधना ठाकुर ने रेड क्रॉस को इस अभियान में शामिल करने के लिए राज्यपाल का आभार व्यक्त किया और रेड क्रॉस स्वयंसेवकों से आरसी जैकेट पहनने का भी आग्रह किया जो कि रेड क्रॉस के सदस्यों की संख्या बढ़ाने में सहायक होगा।

राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा ने कार्यवाही का संचालन करते हुए बताया कि 4 अगस्त को थुनाग में हरियाली उत्सव पौधारोपण अभियान आयोजित किया जाएगा। यह अभियान को युवक मंडलों, महिला मंडलों और रेड क्रॉस स्वयंसेवकों की भागीदारी से आयोजित किया जाएगा और इसके उपरान्त महाविद्यालय स्तर पर वार्षिक उत्सव आयोजित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सभी जिला मुख्यालयों और उप-मंडलों में रेड क्रॉस स्वयंसेवकों को शामिल करके पूरे राज्य में इसी तरह के पौधारोपण अभियान चलाए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष में जिला या उप-मंडल द्वारा एकत्रित रेड क्रॉस निधि का 50 प्रतिशत तक का उपयोग इस अभ्यास के प्रतिभागियों को जलपान इत्यादि प्रदान करने के उद्देश्य से किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि पाठशाला आयुष

मुख्य सचिव ने राज्य स्तरीय प्रबंधन समिति की बैठक की अध्यक्षता की

शिमला/शैल। मुख्य सचिव आर.डी. धीमान की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश सड़क सुरक्षा निधि और क्रियाकलाप नियम, 2022 के अन्तर्गत राज्य स्तरीय प्रबंधन समिति की प्रथम बैठक आयोजित हुई। बैठक में वार्षिक कार्य योजना पर विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक में पुलिस विभाग को व्हील क्लैंप लॉक्स, ट्रैफिक कोन, बैरिकेडज, एलकोहल सेंसर, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और ई-चलान उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए फंड रूल के तहत तीन करोड़ रुपये प्रदान करने का अनुमोदन किया गया।

परिवहन विभाग को सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान जारी रखने के लिए तीन करोड़ रुपये तथा 15 इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटरसेप्टर वाहनों के लिए 4.50 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई। हिमाचल पथ परिवहन निगम के प्रस्ताव के अनुरूप पांच क्रेन व दस कटर खरीदने के लिए दो करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। यह क्रेन हिमाचल पथ परिवहन निगम के अलावा आम जनता के लिए उपलब्ध करवाई जाएंगी।

मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य विभाग को प्रदेश में लेवल-1, 2 और 3 के

निर्माणाधीन ट्रॉमा सेंटरों का कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को एडवांस कार्डियक लाइफ स्पॉट एम्बुलेंस के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए।

मुख्य सचिव ने लोक निर्माण विभाग को 569 असुरक्षित स्पाट्स को शीघ्र ठीक करने के निर्देश भी दिए। इसके लिए सरकार द्वारा लोक निर्माण विभाग को 31.45 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए सभी विभागों को समन्वय के साथ कार्य करने को कहा। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा छात्रों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए समयबद्ध रूप से जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए।

निदेशक परिवहन एवं सदस्य सचिव राज्य स्तरीय प्रबंधन समिति अनुपम कश्यप ने अवगत करवाया कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूर्व में जो निर्णय हिमाचल प्रदेश सड़क सुरक्षा गतिविधियां योजना-2006 के तहत लिए जाते थे अब वे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित कमेटी के निर्देशों के अनुसार हिमाचल प्रदेश सड़क सुरक्षा निधि

और क्रियाकलाप नियम, 2022 के तहत लिए जाएंगे। बैठक में यह भी अवगत करवाया गया कि शिक्षा विभाग को 135 महाविद्यालयों तथा 1879 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में सड़क सुरक्षा क्लबों की स्थापना के लिए 2.50 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। बैठक में विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में प्रधान सचिव लोक निर्माण भरत खेड़ा, प्रधान सचिव उद्योग आर.डी. नजीम, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुभाषीष पन्डा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

शैल समाचार संपादक मण्डल संपादक - बलदेव शर्मा सयुक्त संपादक: जे.पी.भारद्वाज विधि सलाहकार: ऋचा अन्य सहयोगी राजेश ठाकुर अंजना

और क्रियाकलाप नियम, 2022 के तहत लिए जाएंगे। बैठक में यह भी अवगत करवाया गया कि शिक्षा विभाग को 135 महाविद्यालयों तथा 1879 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में सड़क सुरक्षा क्लबों की स्थापना के लिए 2.50 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। बैठक में विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में प्रधान सचिव लोक निर्माण भरत खेड़ा, प्रधान सचिव उद्योग आर.डी. नजीम, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुभाषीष पन्डा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

शैल समाचार संपादक मण्डल संपादक - बलदेव शर्मा सयुक्त संपादक: जे.पी.भारद्वाज विधि सलाहकार: ऋचा अन्य सहयोगी राजेश ठाकुर अंजना

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव के दौरान सुरक्षा प्रबन्धों को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए

शिमला/शैल। पुलिस मुख्यालय, शिमला में आयोजित बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने समस्त जिला पुलिस अधीक्षकों, रेन्ज महानिरीक्षकों, वाहिनियों के समादेशकों एवं पुलिस मुख्यालय में कार्यरत अधिकारियों को राज्य में होने वाले आगामी विधान सभा चुनाव के दृष्टिगत सम्बोधित किया। उन्होंने चुनाव के दौरान सुरक्षा प्रबन्धों को सुनिश्चित करने एवं प्रदेश में स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्वक चुनाव सुनिश्चित करवाने हेतु उचित दिशा-निर्देश दिए।

उन्होंने उपरोक्त चुनाव के दृष्टिगत राज्य में CAPF की कम्पनियों की आवश्यकता एवं उनकी तैनाती के विषय में चर्चा की तथा चुनाव के दौरान अवैध शराब, नकदी,

बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी से लोगों का ध्यान हटाने का प्रयास कर रही भाजपा: प्रतिभा सिंह

शिमला/शैल। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह ने सरकार से प्रदेश में हो रही भारी बारिश से किसानों व बागवानों की फसलों के नुकसान का आंकलन करने को कहा है। उन्होंने प्रभावित लोगों की हरसंभव सहायता करने का सरकार से आग्रह किया है।

प्रतिभा सिंह ने एक ब्यान में भाजपा प्रवक्ता के उस ब्यान पर जिसमें उन्होंने कांग्रेस को महिला विरोधी बताया है पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस को इसके लिए भाजपा के किसी भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने पहली प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के रूप में, पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के रूप में व पहली लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार के रूप में देश को दी है। उन्होंने कहा कि

इस व असमाजिक तत्वों को पकड़ने के लिए उचित कदम उठाने के दिशा-निर्देश दिए।

इसके अतिरिक्त उन्होंने राज्य के पुलिस अधीक्षकों को सीमावर्ती राज्यों के पुलिस अधिकारियों के साथ समय-समय पर बैठक का आयोजन एवं समन्वय स्थापित करने के लिए भी आग्रह किया। साथ ही उन्होंने चुनाव के दौरान सी-विजिल (C-Vigil) ऐप के उपयोगिकरण पर भी बल दिया।

बैठक के अन्त में पुलिस महानिदेशक, हिमाचल प्रदेश ने मुख्य चुनाव अधिकारी को आश्वस्त करवाया कि हिमाचल प्रदेश पुलिस राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों को पेशेवर, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से सम्पन्न करवाने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

देश के कई राज्यों में कांग्रेस ने ही प्रथम महिला मुख्यमंत्री से लेकर राज्यपाल तक दिए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ही पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया है।

प्रतिभा सिंह ने भाजपा की आलोचना करते हुए कहा है कि वह देश में बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी से लोगों का ध्यान हटाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा को इससे अब कोई लाभ होने वाला नहीं। देश भाजपा का असली चेहरा देख चुका है।

प्रतिभा सिंह ने कहा कि आज लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को दबाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। केंद्रीय जांच एजेंसियों का खुल कर दुरूपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भाजपा के किसी भी दबाव से डरने वाली नहीं।

शिमला संसदीय क्षेत्र की प्रभारी के महिला कांग्रेस को पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के निर्देश

शिमला/शैल। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की ओर से शिमला संसदीय क्षेत्र की प्रभारी

महंगाई व बेरोजगारी पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इसका सबसे ज्यादा असर महिलाओं पर पड़ा है। उन्होंने



गोदावरी थापली ने प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर महिला कांग्रेस को एकजुट होकर पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगामी दो हफ्तों के बीच जिला व ब्लॉकों में 25-25 महिला कार्यकर्ताओं की टीम गठित की जाए। उन्होंने कहा कि चूंकि चुनाव बहुत नजदीक है इसलिए सभी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जानी है। उन्होंने कहा कि चुनावों में महिलाओं की अहम भूमिका होती है इसलिए महिला कांग्रेस को हर घर में आज से ही दस्तक देनी है। थापली ने देश प्रदेश में बढ़ती

कहा कि सभी महिलाओं को एकजुट होकर भाजपा की जन विरोधी नीतियों व निर्णयों को उजागर करते हुए लोगों को जागरूक करना है।

इस दौरान प्रदेश महिला कांग्रेस जैनब चंदेल ने प्रदेश की जयराम सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आज हर वर्ग सरकार से परेशान है। उन्होंने कहा कि पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले की जांच कागजों में दफन हो गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेरोजगार युवाओं से जो अन्याय भाजपा ने किया है उसे प्रदेश कभी माफ नहीं करेगा।

प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल में अभूतपूर्व विकास सुनिश्चित हुआ: जय राम ठाकुर

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने चम्बा के परिधि गृह में आबंटन में पर्याप्त प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान



भरमौर-पांगी क्षेत्र के एक प्रतिनिधि मंडल को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इन क्षेत्रों के समुचित विकास के लिए बजट

राज्य सरकार के कार्यकाल में प्रदेश के जनजातीय और दुर्गम क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। उन्होंने पिछली कांग्रेस सरकार पर जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए कहा कि

कांग्रेस के नेताओं ने इन क्षेत्रों के विकास के लिए कुछ नहीं किया।

जय राम ठाकुर ने कहा कि पहली बार इस वर्ष अप्रैल माह में साच पास यातायात के लिए बहाल किया गया है। उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में सड़कों की स्थिति में व्यापक स्तर पर सुधार हुआ है और इन क्षेत्रों के विकास के लिए पर्याप्त बजट का आबंटन किया गया है।

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉ. हंसराज ने जनजातीय क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के साथ-साथ समस्त चम्बा जिले का समान विकास सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

विधायक जिया लाल कपूर ने दुर्गम एवं जनजातीय क्षेत्रों की विकासआत्मक आवश्यकताओं के प्रति सदैव संवेदनशील रहने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

शहरी विकास मंत्री ने बागवान हितैषी निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया

शिमला/शैल। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सेब सीजन-2022 के दृष्टिगत बागवानों के हितों की रक्षा और विभिन्न स्तरों पर उनके शोषण इत्यादि को रोकने के लिए उठाए गए त्वरित एवं दूरगामी कदमों की सराहना करते हुए इसके लिए मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर का आभार व्यक्त किया है।

शहरी विकास मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार कृषक एवं बागवान कल्याण के लिए कृतसंकल्प है। चालू सेब सीजन में बागवानों को पेश आ रही समस्याओं के दृष्टिगत उनके नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मण्डल हाल ही में मुख्यमंत्री से भेंट की थी। मुख्यमंत्री ने इन समस्याओं के तुरन्त निवारण के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर सार्थक समाधान की

ओर कदम बढ़ाया है। इस समिति के माध्यम से बागवानों को किफायती दरों पर पैकेजिंग सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने अनेक बागवान हितैषी निर्णय लिए हैं, जिसमें 01 अप्रैल, 2022 के बाद सेब की पेटियां एवं ट्रे की खरीद करने वाले सभी बागवानों को जीएसटी का 6 प्रतिशत उपदान बागवानी विभाग एवं एच.पी.एम.सी. के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि एच.पी.एम.सी. द्वारा विक्रय किए गए कार्टन एवं ट्रे पर भी यह उपदान देय होगा। इस जीएसटी के खर्च को प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

सुरेश भारद्वाज ने कहा कि सरकार द्वारा एच.पी.एम.सी. को इस सेब सीजन को ध्यान में रखते हुए कम से कम एक करोड़ पेटियों की पैकेज सामग्री के आबंटन की तैयारी के निर्देश जारी किये

गये हैं और एच.पी.एम.सी. द्वारा इस संबंध में 50 प्रतिशत तैयारी की जा चुकी है।

उन्होंने कहा कि एमआईएस के अन्तर्गत बागवानों को वर्ष 2021 तक की अदायगी करने के लिए प्रदेश सरकार ने 8 करोड़ 65 लाख रुपये की धनराशि विभाग को प्रदान की है और शीघ्र ही इसका भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है।

सुरेश भारद्वाज ने कहा कि बागवान कल्याण को प्राथमिकता प्रदान करते हुए सरकार ने बागवानी नीति में बदलाव करते हुए सरकार ने गत वर्षों की भांति विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों के उपदान की पुरानी योजना पुनः लागू कर दी है जिसके अनुसार यह सारी वस्तुएं उद्यान विभाग के केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध होंगी।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा लाभार्थियों को 327 करोड़ रुपये के लाभ प्रदान

शिमला/शैल। परिवहन एवं उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं

हैं, जिन्हें विभिन्न योजनाओं के तहत लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनवरी, 2018 से 30 जून, 2022 तक वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल में 2,72,739 कामगार पंजीकृत किए

51-51 हजार की सहायता राशि प्रदान की जाती है। वर्तमान सरकार द्वारा इस योजना के तहत 19037 लाभार्थियों को लगभग 77 करोड़ रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई है।

हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा शिक्षा सहायता योजना के अन्तर्गत पंजीकृत सदस्यों के दो बच्चों की पढ़ाई के लिए भी सहायता राशि प्रदान की जाती है। इसके तहत सरकार के वर्तमान कार्यकाल के दौरान 97,256 पंजीकृत सदस्यों को लगभग 120 करोड़ रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई है।

उन्होंने कहा कि बोर्ड द्वारा पंजीकृत लाभार्थियों को पेंशन सुविधा, दिव्यांगता पेंशन, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, हॉस्टल सुविधा सहित अनेक योजनाओं के तहत सहायता प्रदान की जाती है। बैठक में सचिव श्रम एवं रोजगार अक्षय सूद, सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिले राम, अवर सचिव अनिल कटोच, सहायक नियंत्रक भारत भूषण, कार्यकारी अधिकारी अविनाश लॉ और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।



की समीक्षा की।

बिक्रम सिंह ने बोर्ड के अधिकारियों को सभी निर्धारित लक्ष्यों को निश्चित अवधि में पूर्ण करने और योजनाओं को प्रभावी तरीके से कार्यान्वित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में बोर्ड के पास 4,01,537 पंजीकृत लाभार्थी

गए हैं। इस अवधि के दौरान लाभार्थियों के लिए कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं के तहत लगभग 327 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं।

उद्योग मंत्री ने कहा कि पंजीकृत अविवाहित लाभार्थी के विवाह के लिए बोर्ड द्वारा 51 हजार रुपये तथा विवाहित लाभार्थी के दो बच्चों के विवाह के लिए

धर्मशाला स्मार्ट सिटी के निदेशक मण्डल की बैठक में 196 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी

शिमला/शैल। मुख्य सचिव आरडी धीमान की अध्यक्षता में धर्मशाला स्मार्ट सिटी के निदेशक मंडल की 20वीं बैठक आयोजित हुई। बैठक में लगभग 196 करोड़ रुपये लागत की प्रमुख विकासआत्मक परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई।

बोर्ड ने 101.63 करोड़ रुपये लागत की एचटी की भूमिगत केबलिंग, मौजूदा एलटी बेयर केबल को एबी केबल में बदलने तथा कम्प्रेस्ड ट्रांसफार्मर की परियोजना को मंजूरी प्रदान की।

बोर्ड ने धर्मशाला में 35 करोड़ रुपये लागत के एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र को मंजूरी दी। इस परियोजना में डेटा सेंटर शुरू करने के

लिए आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण सहित शहर की निगरानी और शहर में फाइबर नेटवर्क स्थापित करना शामिल है और इसमें आगामी पांच वर्ष के लिए संचालन और रख-रखाव का भी प्रावधान है।

बोर्ड ने धर्मशाला स्मार्ट सिटी के लिए कचहरी अड्डा में सिटी कन्वेंशन सेंटर बनाने को मंजूरी प्रदान की। इस परियोजना की कुल लागत 6.68 करोड़ रुपये होगी।

बोर्ड ने इन प्रमुख परियोजनाओं के अलावा 52 करोड़ रुपये लागत की विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को भी मंजूरी दी, जिसमें व कवे, समावेशी सड़कें, प्रकृति पार्क, सोलर रूफ टॉप पीवी और स्मार्ट पुस्तकालय शामिल हैं।

वित्त वर्ष के प्रथम चार माह में जीएसटी संग्रहण में 44 प्रतिशत की वृद्धि

शिमला/शैल। राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त, युनूस ने बताया कि इस वित्त वर्ष के प्रथम चार माह में प्रदेश में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रहण में 44 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि जुलाई माह में 472 करोड़ रुपये जीएसटी संग्रहण किया गया। यह पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के 1285 करोड़ रुपये के संग्रहण की तुलना में 1857 करोड़ रुपये रहा है।

उन्होंने कहा कि यह वृद्धि करदाताओं में कर अदायगी सम्बन्धी अनुपालना में सुधार तथा विभाग द्वारा उठाए गए विभिन्न प्रशासनिक एवं नीतिगत प्रयासों तथा प्रवर्तन प्रणाली के सुदृढीकरण से सम्भव हो पाई है। इस वृद्धि का दूसरा मुख्य कारण पिछले वित्त वर्ष की अन्तिम तिमाही में जीएसटी रिटर्न सम्बन्धी दी गई छूट है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर से उत्पन्न आर्थिक विषमताओं के कारण दी गई छूट से जीएसटी संग्रहण में विगत वर्ष 2021-22 की प्रथम तिमाही में कमी दर्ज की गई थी।

विभाग द्वारा वर्तमान वित्त वर्ष में लगभग 25 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि

का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। रिटर्न फाइलिंग में लगातार सुधार, रिटर्न की तीव्रता से जांच, जीएसटी ऑडिट को समय पर पूरा करना और मजबूत प्रवर्तन विभाग के लिए लक्षित क्षेत्र बने हुए हैं।

विभाग ने वर्तमान वित्त वर्ष में अपने रोड चैकिंग अभियान में चार लाख 50 हजार ई-वे बिल सत्यापित किए हैं। विभाग स्वैच्छिक अनुपालन में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है और टैक्स हाट कार्यक्रम के तहत समयबद्ध रूप से हितधारकों के मुद्दों का निवारण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि छोटे व मझले व्यापारियों को जीएसटी प्रावधानों के बारे में जागरूक करने के लिए विभाग द्वारा स्थानीय व्यापार मण्डलों की सहायता से कार्यशालाओं का आयोजन भी किया जा रहा है। विभाग टैक्स अधिकारियों के ज्ञान में वृद्धि तथा क्षमता निर्माण पर भी ध्यान केन्द्रित कर रहा है। गत चार महीनों के दौरान 350 कर अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा विभागीय पुनर्गठन की सैद्धान्तिक मंजूरी और प्रशिक्षित अधिकारियों के सशक्त प्रयासों से विभाग को राजस्व लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी

नौणी विवि में बागवानी, वानिकी, बायोटेक, कृषि व्यवसाय प्रबंधन के लिए करें आवेदन

शिमला/शैल। डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी में 2022-23 शैक्षणिक सत्र के लिए बागवानी, वानिकी, जैव प्रौद्योगिकी, कृषि व्यवसाय प्रबंधन कार्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस वर्ष विश्वविद्यालय इन कार्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगा।

21 अगस्त, 2022 को विभिन्न केंद्रों में विश्वविद्यालय के स्नातक कार्यक्रमों की सामान्य सीटों के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। स्नातक कार्यक्रमों की स्व-वित्तपोषित सीटों पर प्रवेश 10 + 2 स्तर की परीक्षा में चार विषयों- अंग्रेजी, फ़िज़िक्स, कैमिस्ट्री और बायोलॉजी/गणित में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर किया जाएगा। स्नातक कार्यक्रमों की सामान्य सीटों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 अगस्त है, जबकि स्व-वित्तपोषण सीटों के लिए 27 अगस्त तक आवेदन किया जा सकता है।

स्नातकोत्तर कार्यक्रमों- एमएससी और एमबीए कृषि व्यवसाय की सामान्य और स्व-वित्तपोषित सीटों में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय द्वारा 26 अगस्त, 2022 को मुख्य परिसर में प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। सामान्य और स्व-वित्तपोषित सीटों के लिए के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 अगस्त है। शैक्षणिक सत्र 2022-23 में विवि के एमबीए सामान्य कार्यक्रम में एडमिशन नहीं होगी। शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए डॉक्टरेट कार्यक्रम में प्रवेश दूसरे सेमेस्टर (दिसंबर 2022/जनवरी, 2023) में किया जाएगा जिसके लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर एक अलग नोटिस प्रकाशित किया जाएगा।

इच्छुक छात्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर लॉग इन कर आवेदन कर सकते हैं। प्रत्येक कार्यक्रम के लिए विस्तृत विवरणिका विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है। ऑनलाइन मोड के अलावा अन्य आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

आकांक्षा, अज्ञानता, और असमानता यह बंधन की त्रिमूर्तियां हैं।

.....स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

चौकाने वाली है आई एम एफ की रिपोर्ट



संसद का वर्तमान सत्र अब तक जिस तरह के हंगामे में गुजर गया है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार अपने संख्या बल के सहारे प्रमुख मुद्दों पर बहस से बचना चाहती है। जितने विपक्षी सांसदों का निलंबन अब तक हो चुका है वह भी इसी दिशा का एक प्रमाण है। महंगाई और बेरोजगारी से जनता त्रस्त है। सरकार सेना जैसे संस्थान

में भी स्थायी नौकरी दे पाने की स्थिति में नहीं रह गयी है। यह कड़वा सच अग्निवीर योजना के माध्यम से सामने आ चुका है। विपक्ष की सरकारों को जांच एजेंसियों के माध्यम से तोड़ा जा रहा है। विपक्ष संसद में इन्हीं सब मुद्दों पर बहस उठाना चाहता है और सरकार हर कीमत पर इस बहस से बचना चाहती है। इसमें कौन कितना सफल रहता है यह आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जायेगा। लेकिन संसद के इस सत्र से पहले प्रधानमंत्री ने मुफ्त खोरी की योजनाओं पर गंभीर चिंता जताई थी। यह मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय में भी पहुंचा हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से इस पर जवाब मांगा था। चुनाव आयोग ने इसमें कुछ कर पाने में असमर्थता व्यक्त कर दी है। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से इस संबंध में कोई योजना बनाने को कहा है और इसमें वित्त आयोग को भी शामिल करने को कहा है। केंद्र सरकार इसमें क्या करती है यह देखना दिलचस्प होगा।

लेकिन इस परिदृश्य में महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि प्रधानमंत्री को यह कहने की बाध्यता क्यों आयी? क्या प्रधानमंत्री को केजरीवाल के मुफ्ती मॉडल की बढ़ती लोकप्रियता से डर लगने लगा है? जबकि मुफ्ती के सही मायनों में जनक प्रधानमंत्री और उनकी भाजपा है। क्या प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना में बांटा गया 18.50 लाख करोड़ कर्ज रेवड़ी बांटना नहीं है? क्या सरकारी बैंकों का आठ लाख करोड़ का एन पी ए वहे खाते में डालना मुफ्ती नहीं है। किसान सम्मान निधि और उज्जवला योजनाएं मुफ्ती नहीं हैं। मुफ्त बिजली, पानी और बसों में महिलाओं को आधे किराये में छूट देना सब मुफ्ती में आता है। इस मुफ्ती की कीमत महंगाई बढ़ाकर और कर्ज लेकर पूरी की जाती है। यह सारा कुछ 2014 में सत्ता पाने और उसके बाद सत्ता में बने रहने के लिये किया गया। जिसे अब केजरीवाल और अन्य ने भी सत्ता का मूल मन्त्र मान लिया है। इसलिये इसमें किसी एक को दोष देना संभव नहीं होगा।

सत्ता में बने रहने के लिये बांटी गयी इन रेवड़ियों का काला पक्ष अब सामने आने वाला है और इसी की चिन्ता में प्रधानमंत्री को यह चेतावनी देने पर बाध्य किया है। क्योंकि आर बी आई देश के तेरह राज्यों की सूची जारी कर चुका है जिनकी स्थिति कभी भी श्रीलंका जैसी हो सकती है। आर बी आई से पहले वरिष्ठ नौकर शाह प्रधानमंत्री के साथ एक बैठक में यही सब कुछ कह चुके हैं। इन लोगों ने जो कुछ कहा है वह सब आई एम एफ की अक्टूबर 2021 में आयी रिपोर्ट पर आधारित है। आई एम एफ की इस रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि सरकार द्वारा लिया गया कर्ज जी डी पी का 90.6 प्रतिशत हो गया है। इस कर्ज में जब सरकारी कंपनियों द्वारा लिया गया कर्ज भी शामिल किया जायेगा तो इसका आंकड़ा 100 प्रतिशत से भी बढ़ जाता है। आई एम एफ की रिपोर्ट का ही असर है कि विदेशी निवेशकों ने शेयर बाजार से अपना निवेश निकालना शुरू कर दिया। इसी के कारण डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट आयी। खाद्य पदार्थों पर जी एस टी लगाना पड़ा है। देश का विदेशी मुद्रा भण्डार भी लगातार कम होता जा रहा है क्योंकि निर्यात के मुकाबले आयात बहुत ज्यादा है। अगले वित्त वर्ष में जब 265 अरब डॉलर का कर्ज वापिस करना पड़ेगा तब सारी वित्तीय व्यवस्था एकदम बिगड़ जायेगी यह तय है। तब जो महंगाई और बेरोजगारी सामने आयेगी तब उसे समर्थक और विरोधी दोनों एक साथ और एक बराबर झेलेंगे।

भारतीय मुसलमानों का आदर्श ख्वारिज नहीं हो सकता



गौतम चौधरी

भारतीय उपमहाद्वीप में अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठन अल कायदा ने हाल ही में पैगंबर मुहम्मद के खिलाफ टिप्पणी से संबंधित भारत के पहले से ही तनावपूर्ण माहौल को एक बार फिर से खराब करने की कोशिश की है। एक्वआईएस ने खुले तौर पर हिंदुओं को मारने के लिए आत्मघाती बम विस्फोट करने और अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निर्दोष बच्चों का उपयोग करने की धमकी दी है। अरबी पृष्ठभूमि के इस अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठन ने अपनी धमकी में इस्लामिक अतिवादी संगठन, गजवा-ए-हिंद के उस सिद्धांत का भी उल्लेख किया है, जिसमें कहा गया है कि महज 20 वर्षों में भारतीय उपमहाद्वीप का पूर्णरूपेण इस्लामीकरण कर दिया जाएगा। दरअसल, इस तरह के ब्यान जारी करके, एक्वआईएस ने भारत में हिंसा को बढ़ावा देने और धार्मिक उत्तेजना और युवाओं को ब्रेनवॉशिंग के माध्यम से मुसलमानों के बीच जमीन हासिल करने की उम्मीद की होगी लेकिन उसे सफलता मिलती नहीं दिख रही है। इस प्रकार के अतिवाद का भारत में कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। भारतीय मानस चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान या फिर कोई और मजहब, अतिवाद को कभी प्रश्रय नहीं दिया। ब्यान जारी करते वक्त एक्वआईएस शायद यह भूल गये कि भारतीय समाज सहिष्णु है और इस समाज को रत्ती भर भी अशांति पसंद नहीं है। भारतीय मुसलमानों का अतीत बेहद समृद्ध रहा है। भारत के मुसलमान उस संस्कृति में विश्वास करते हैं, जिसे बाबा बुल्ले शाह और निजामुद्दीन औलिया जैसे सूफी संतों ने स्थापित किया है।

धमकी पत्र जारी होने के तुरंत बाद, सांसद एवं एआईएमआईएम

के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने एक्वआईएस के ब्यान की निंदा की और कहा, “हमारे पैगंबर मुहम्मद का नाम बुलंद है और इसकी रक्षा के लिए अल कायदा जैसे आतंकवादियों की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अल्लाह, ख्वारिजों यानी दहशतगर्दों से हमारी रक्षा करे, जो देश में हिंसा फैलाता है और इस्लाम के नाम को बदनाम करता है।” यहां ख्वारिज के बारे में बताना जरूरी है। मसलन, ख्वारिज, इस्लाम में वह पहला गुट है जिसने मूल इस्लामी नियमों से हटकर अपना अलग गुट बनाया था। इन लोगों का उदय सिप्फनी नामक युद्ध के बाद हुआ। सभी को पता होना चाहिए कि इस्लाम आतंकवाद को खारिज करता है। जो लोग नहीं जानते हैं, उनके लिए ख्वारिज इस्लामी दुनिया की स्थापना के बाद से आज तक सभी परेशानियों के लिए जिम्मेदार लोगों का एक समूह है। ख्वारिज ही खलीफा उस्मान और बाद में खलीफा हजरत अली की मौत के लिए जिम्मेदार थे।

भारतीय मुसलमान ख्वारिज की साजिश और उन जैसे आतंकवादी संगठनों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। जमीयत उलेमा हिंद या जमात ए इस्लामी हिंद जैसे प्रमुख मुस्लिम संगठनों में से किसी ने भी एक्वआईएस के धमकी पत्र का समर्थन नहीं किया है। एक्वआईएस के ब्यान का विरोध करने के लिए कई प्रमुख मुस्लिम नेता और बुद्धिजीवी सोशल समाचार वाहिनियों के विभिन्न मंचों पर आकर अपने ब्यान दर्ज करा चुके हैं। उन सभी संदेशों में लगभग एक जैसा स्वर था - पैगंबर मुहम्मद की बदनामी से जुड़ा मामला भारत का आंतरिक मामला है और इसे आंतरिक रूप से हल किया जाना चाहिए, किसी बाहरी हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

यह पहली बार नहीं है जब एक्वआईएस जैसे आतंकवादी संगठन के भारत में अपना आधार बढ़ाने के प्रयास विफल रहे हैं। 1980 के दशक में, दुनिया भर के हजारों मुसलमान रूस के खिलाफ जिहाद के नाम पर अफगानिस्तान जाकर तालिबान में शामिल हो गए थे लेकिन भारतीय मुसलमानों ने संयम बनाए रखा। अमेरिका और पाकिस्तान के द्वारा अफगानिस्तान के तालिब आन्दोलन का क्या हथ्र हुआ वह दुनिया

देख रही है। अंततोगत्वा तालिबानियों ने अपने अफगानिस्तान को ही नर्क बना लिया।

जब आईएसआईएस द्वारा खिलाफत का वैश्विक आह्वान किया गया, तब लाखों भारतीय मुसलमानों में से केवल 200 ने ही उस आह्वान पर वहां पहुंचे। हालांकि, यह बताया गया कि 25 से कम लोग वास्तव में लड़ने के लिए सीरिया गए थे, जबकि लगभग एक अन्य समूह (25) इस्लामिक स्टेट में रहने के इरादे से खुरासान चले गए। बाकी लोग सिर्फ ऑनलाइन गतिविधि में शामिल हो पाये। देश की आबादी का लगभग 14.2 प्रतिशत के साथ इस्लाम, भारत में दूसरा सबसे बड़ा मजहबी समूह है। यहां 172.2 मिलियन लोग इस्लाम के अनुयायियों के रूप में अपनी पहचान बताते हैं। इसका मतलब है कि केवल 0.0001161 प्रतिशत मुस्लिम आबादी ही आईएसआईएस में शामिल हुई। आईएसआईएस में शामिल होने वाले मुसलमान उपरोक्त प्रतिशत से भी कम हैं। भाईचारे, मातृभूमि के प्रति प्रेम और देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान देने की इच्छा से प्रेरित एक असाधारण अतीत के साथ, भारतीय मुसलमानों ने हमेशा जिहाद के नाम पर हिंसा को खारिज किया है।

भारतीय मुसलमानों द्वारा चरमपंथी विचारधारा की अस्वीकृति भारत के अद्वितीय इतिहास का प्रत्यक्ष परिणाम है, जिसने भारतीय संविधान और धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र द्वारा लागू की गई एक असाधारण बहुलतावादी संस्कृति को आगे बढ़ाया है। भारत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और निजामुद्दीन औलिया जैसे सूफी संतों की भूमि है। एक्वआईएस या ऐसे अन्य आतंकवादी संगठनों को हमेशा याद रखना चाहिए कि आधुनिक भारत का निर्माण अशाफाकउल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद जैसे बलिदानों और एपीजे अब्दुल कलाम, होमी जे भाभा जैसे वैज्ञानिकों के योगदान से हुआ है। भारत में इस संतुलन को भंग करने की कोई भी कोशिश कभी सफल नहीं हो सकती है। जो लोग प्रयास कर रहे हैं अतत: असफल होंगे।

भारत में दूरसंचार को नियंत्रित करने वाली नई कानूनी संरचना की आवश्यकता

दूरसंचार में, भारत की अर्थव्यवस्था की वास्तविक शक्ति को उजागर करने, सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन में तेजी लाने और 'आत्मनिर्भर भारत' के विज़न से जुड़ी उपलब्धि को हासिल करने की क्षमता है। दूरसंचार डिजिटल शासन को सक्षम बनाता है, जो नागरिकों और उद्यमों के लिए वस्तुओं व सेवाओं के डेटा संचालित तथा जन-केंद्रित वितरण पर जोर देता है।

भारत में दूरसंचार के लिए कानूनी संरचना उन कानूनों द्वारा शासित होती है, जिन्हें भारत के

स्वतंत्र होने से बहुत पहले बनाया गया था। हाल के दशकों में प्रौद्योगिकी काफी विकसित हुई है। उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के साथ तालमेल बिठाने के लिए, अधिकांश देशों में दूरसंचार कानून समय के साथ विकसित हुए हैं। इनमें संयुक्त राज्य अमेरिका (1996), ऑस्ट्रेलिया (1979), यूनाइटेड किंगडम (2003), सिंगापुर (1999), दक्षिण अफ्रीका (2000) और ब्राजील (1997) शामिल हैं।

हितधारक बदलती प्रौद्योगिकी से तालमेल के लिए कानूनी संरचना को विकसित करने की मांग कर रहे हैं।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, संचार मंत्रालय, भारत सरकार, के दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार क्षेत्र में एक नयी कानूनी संरचना की आवश्यकता पर एक परामर्श पत्र तैयार किया है। परामर्श पत्र <https://dot.gov.in/whatsnew/consultation-paper-need-new-legal-framework-governing-telecommunication-india> पर उपलब्ध है। परामर्श पत्र पर, हितधारकों से विचार आमंत्रित किये गए हैं, जिसकी अंतिम तिथि 25 अगस्त, 2022 है।

पहाड़ टूट रहे हैं और प्लास्टिक के पहाड़ बन रहे हैं-पर्यावरणविद डॉ जोशी

प्रकृति को बचाने में कानून उतने कारगर साबित नहीं होते, जितना हमारी बदली हुई आदतें: राजेंद्र चौधरी

शिमला। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय संचार ब्यूरो के शिमला स्थित क्षेत्रीय कार्यालय ने एक वेबिनार का आयोजन किया। वेबिनार में बतौर मुख्य वक्ता पद्म भूषण से सम्मानित विख्यात पर्यावरणविद डॉ. अनिल प्रकाश जोशी ने भाग लिया। उनके अतिरिक्त राजकीय डिग्री कॉलेज चंबा के सहायक प्रोफेसर अविनाश पाल ने भी बतौर वक्ता कार्यक्रम में भाग लिया।

वेबिनार में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (उत्तरपूर्वी क्षेत्र) के अपर महानिदेशक राजेंद्र चौधरी ने इस मौके पर अपने वक्तव्य में मानव कृत्यों द्वारा प्राकृति की हो रही दुर्घाती पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हमको ये समझने की जरूरत है कि धरती को हमारी नहीं, हमें धरती की जरूरत है और धरती को खतरा नहीं है, खतरा इंसानों को है। इसलिए हमें अब चेत जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रकृति

को बचाने में कानून उतने कारगर साबित नहीं होते, जितना हमारी बदली हुई आदतें प्रकृति को संरक्षित करने में मदद करती हैं।

कार्यक्रम में श्रोताओं को संबोधित



करते हुए पर्यावरणविद डॉ. जोशी ने कहा कि बीते एक दशक में हिमालय ने बहुत कुछ झेला है, जिसका खामियाजा हम अब बाढ़, सूखा, भूस्खलन इत्यादि

के रूप में चुका रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रकृति को लेकर अब हमारा चरित्र और आदतें बदल गई हैं। उन्होंने कहा कि अब हमें प्राकृति आपदाओं पर चिंता नहीं होती है। इसे

हमने अब रूटीन का हिस्सा मान लिया है। डॉ. जोशी ने कहा कि इंसानों के लालच के कारण धरती ओवर शूट हो गई है। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए

कहा कि आज पहाड़ टूट रहे हैं और प्लास्टिक के पहाड़ बन रहे हैं। इसके चलते समंदरों में 09 बिलियन टन प्लास्टिक जमा हो गया है। उन्होंने कहा कि हम आज प्राकृति के विनाश के मुहाने पर खड़े हैं।

डॉ. जोशी ने कहा कि सरकारें जैसे जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के लिए काम करती हैं वैसे ही उसे अब जीडीपी यानी ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट पर भी काम करने की जरूरत है, जिससे प्राकृति का संरक्षण किया जा सके।

चंबा राजकीय डिग्री कॉलेज के सहायक प्रोफेसर अविनाश ने अपने संबोधन में कहा कि प्रकृति को अगर हम नुकसान पहुंचाएंगे तो वो हमसे इसका बदला अपने हिसाब से लेती है। उन्होंने कहा कि प्रकृति के संरक्षण के लिए छोटी छोटी बातें अगर ध्यान में रखी जाएं तो बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। उन्होंने इस दौरान सतत विकास पर जोर दिया। अविनाश ने इस दौरान चंबा डिग्री कॉलेज में एनएसएस इकाई द्वारा प्राकृतिक संरक्षण के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों के बारे

में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रकृति को बचाने का जिम्मा युवा कंधों पर ज्यादा है।

वेबिनार में केंद्रीय संचार ब्यूरो चंडीगढ़ के निदेशक विवेक वैभव ने अपने संबोधन में दोनों वक्ताओं और प्रतिभागियों का धन्यवाद किया। उन्होंने इस दौरान कहा कि दोनों वक्ताओं ने जो भी बातें वेबिनार में कीं उन्हें हमें अपने जीवन में आत्मसात करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हम सब धरती को मां तो कहते हैं, लेकिन उसे हमने अपने कृत्यों से बीमार कर दिया है। अब हम सबका नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम अपनी आदतों में सुधार कर उसकी बीमारी को ठीक करें।

कार्यक्रम का संचालन केंद्रीय संचार ब्यूरो शिमला के प्रभारी और क्षेत्रीय प्रदर्शनी अधिकारी अनिल दत्त शर्मा ने किया। इस मौके पर केंद्रीय संचार ब्यूरो चंडीगढ़ की उप निदेशक सुश्री सपना बट्टा, सहायक निदेशक संगीता जोशी और केंद्रीय संचार ब्यूरो चंडीगढ़ के अंतर्गत आने वाले तमाम क्षेत्रीय कार्यालयों ने प्रतिभाग किया।

डबल इंजन सरकार की कल्याणकारी योजनाओं ने बदली हिमाचल की तस्वीर

शिमला। प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर अनेकों नई कल्याणकारी योजनाएं कार्यान्वित की हैं। बुजुर्गों, युवाओं, बेटियों और महिलाओं पर केंद्रित इन योजनाओं से लोगों के सामाजिक-आर्थिक जीवन में आशातीत बदलाव आया है। हिमकेयर, मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना, मुख्यमंत्री सहारा योजना और मुख्यमंत्री स्वावलम्बन जैसी अनेक नई योजनाएं अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो रही हैं।

आयुष्मान भारत और हिमकेयर योजना के 4.53 लाख लाभार्थी

लोगों के निःशुल्क इलाज के लिए भारत सरकार द्वारा आरम्भ की गई वृद्ध स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत के तहत प्रदेश के 4 लाख 31 हजार परिवार पंजीकृत हैं। योजना के तहत अभी तक 1 लाख 45 हजार मरीजों का निःशुल्क इलाज किया जा चुका है, जिस पर 178 करोड़ व्यय किए गए हैं।

आयुष्मान भारत योजना का सार्वभौमिकरण करते हुए प्रदेश सरकार ने हिमकेयर योजना आरम्भ की ताकि प्रदेश के वो लोग भी लाभान्वित हो सकें जो आयुष्मान भारत योजना में शामिल नहीं हो पाए थे। इस योजना के तहत हिमाचल में 6 लाख 18 हजार परिवार पंजीकृत हैं। हिमकेयर के तहत अभी तक 3 लाख 8 हजार मरीजों का निःशुल्क इलाज किया जा चुका है। इस पर 285 करोड़ खर्च हो चुके हैं। डबल इंजन सरकार इन दोनों योजनाओं के माध्यम से साढ़े चार लाख लोगों के निःशुल्क इलाज पर लगभग 463 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है।

मुख्यमंत्री सहारा योजना का 20 हजार से ज्यादा को मिल रहा लाभ

राज्य सरकार ने गंभीर बीमारी

के कारण दूसरों पर आश्रित हो चुके जरूरतमंदों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री सहारा योजना क्रियान्वित की है। सम्पूर्ण देश में यह अपनी तरह की पहली योजना है। वर्तमान में हिमाचल में 20 हजार से ज्यादा जरूरतमंदों को अतिरिक्त देखभाल के लिए इस योजना के माध्यम से हर महीने 3 हजार रुपये दिए जा रहे हैं। इसके तहत अभी तक लगभग 80 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है।

घरेलू गैस कनेक्शन पर 159 करोड़ रुपये खर्च

हिमाचल सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए कृतसंकल्प है। महिलाओं के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए उन्हें चूल्हे के धुएँ से होने वाली बीमारियों जैसे दमा और आंखों के रोगों से सुरक्षित रखने इत्यादि के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसमें महिलाओं को मुफ्त घरेलू गैस कनेक्शन वितरित किए गए। इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण भी है। हिमाचल में इस योजना के तहत 1 लाख 37 हजार गैस कनेक्शन वितरित किए गए, जिस पर 28.15 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

केंद्र सरकार की इस योजना का भी सार्वभौमिकरण करते हुए उज्ज्वला योजना का लाभ न पा सकें गरीब परिवारों को निःशुल्क घरेलू गैस कनेक्शन देने के लिए राज्य सरकार ने गृहिणी सुविधा योजना क्रियान्वित की। योजना के तहत 3 लाख 32 हजार घरेलू गैस कनेक्शन वितरित किए गए, जिस पर 130 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। वर्तमान में हिमाचल देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां हर घर में घरेलू गैस कनेक्शन है। डबल इंजन की सरकार ने इसमें 159 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च कर घर-घर

निःशुल्क गैस कनेक्शन की सुविधा दी है। इस तरह हिमाचल देश का पहला चूल्हा धुआमुक्त राज्य भी है।

मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना से 11 हजार से ज्यादा को मिला रोजगार

मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के बेरोजगार युवा स्वरोजगार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित हो कर आत्मनिर्भर व स्वावलम्बी बन रहे हैं। इस योजना के माध्यम से प्रदेश सरकार पात्र युवाओं को एक करोड़ रुपये तक के निवेश पर 25 से 35 प्रतिशत उपदान प्रदान कर रही है। योजना के तहत कुल 721 करोड़ रुपये का निवेश हुआ। सरकार की ओर से इस योजना के तहत 200 करोड़ रुपये की उपदान राशि प्रदान की गई। इसमें कुल 4377 इकाइयां स्वीकृत की गईं, जिनसे 11 हजार 674 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है।

बेटियों की शादी पर 17 करोड़ से अधिक का शगुन

बीपीएल परिवार की बेटियों की शादी पर आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्य में पहली बार मुख्यमंत्री शगुन योजना आरम्भ की गई है। बीपीएल परिवार से संबंध रखने वाली बेटों की शादी पर सरकार की ओर से 31 हजार की आर्थिक सहायता शगुन के रूप में की जाती है। अब तक इस योजना के अंतर्गत 5 हजार 621 बेटियों की शादी पर आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। योजना पर 17.42 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

इस प्रकार राज्य सरकार सर्वजन हिताय-सर्वजन सुखाय की भावना से सभी प्रदेशवासियों के कल्याण के लिए नित नई योजनाएं कार्यान्वित कर रही है, जिनसे समाज के सभी वर्ग लाभान्वित हो रहे हैं।

सरकार ने ड्रग्स की समस्या को समाप्त करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई

शिमला। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने चंडीगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मादक द्रव्यों की तस्करी एवं राष्ट्रीय सुरक्षा विषय पर आयोजित सम्मेलन को सम्बोधित किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार मादक द्रव्यों की तस्करी और नशे जैसी सामाजिक बुराई के समूल नाश के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि नशे के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के अंतर्गत मादक द्रव्यों के उद्गम स्थल से लेकर नशीले पदार्थों के गंतव्य बिंदु तक के नेटवर्क को समाप्त करने के उद्देश्य से मादक द्रव्यों के उत्पादक और आपूर्तिकर्ताओं पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस नीति के तहत प्रदेश स्तर पर राज्य मादक द्रव्य अपराध नियंत्रण इकाई स्थापित की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में नशे के विरुद्ध तकनीक का समुचित उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2019 में टोल फ्री नशा निवारण हेल्पलाइन नम्बर 1908 आरंभ की गई है। इस हेल्पलाइन का मुख्य उद्देश्य आम जन को मादक पदार्थों के तस्करों की जानकारी साझा करने की दिशा में प्रोत्साहित करना और नशा पीड़ितों एवं उनके अभिभावकों को व्यसन मुक्ति के संदर्भ में परामर्श प्रदान करना है। इस हेल्पलाइन पर मादक द्रव्यों के संबंध में जानकारी देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाती है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2019 में ही एक मोबाइल ऐप ड्रग फ्री हिमाचल भी आरंभ की है। उन्होंने कहा कि इस ऐप पर लोग अपनी पहचान बताए बिना मादक पदार्थों की तस्करी, बिक्री और उपयोग की सूचना पुलिस विभाग को प्रदान कर सकते हैं। इस ऐप को 42000 नागरिकों द्वारा डाउनलोड किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि इस ऐप पर अभी तक नशे के विरुद्ध 2194 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इन

सूचनाओं के आधार पर नशा तस्करों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा मादक पदार्थ रोकथाम नीति के तहत नशा उत्पादन, तस्करी एवं सेवन इत्यादि की रोकथाम के लिए पुनर्वास, व्यसन मुक्ति और वैकल्पिक विकास कार्यक्रम की दिशा में विस्तृत नीति बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा नशे के विरुद्ध विभिन्न विभागों के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित करने, जन जन को इस दिशा में जागरूक बनाने तथा हितधारकों को प्रशिक्षित करने के लिए नशा निवारण बोर्ड भी गठित किया गया है। राज्य में विशेष जागरूकता शिविर आयोजित करने के साथ साथ थाना स्तर पर नशा निवारण समितियां गठित की गई हैं। गत चार वर्षों में इन समितियों द्वारा लगभग 10 लाख लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के विषय में जागरूक किया जा चुका है।

उन्होंने कहा कि नशा तस्करों पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश पुलिस द्वारा अनेक अभिनव प्रयास आरंभ की गई हैं। उन्होंने कहा कि इनके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। गत चार वर्षों में एन डी पी एस अधिनियम के तहत 5855 अभियोग पंजीकृत कर 7938 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि नशा एक विश्वव्यापी समस्या है और हिमाचल प्रदेश में जन जन के सहयोग से इस सामाजिक कुरीति के उन्मूलन की दिशा में समुचित प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नशे की गंभीर समस्या से समग्र रूप से निपटने के लिए हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ द्वारा वर्ष 2019 में संयुक्त स्तर पर पंचकूला में अन्तरराज्यीय ड्रग सचिवालय की स्थापना की गई है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर नशा निवारण एवं नियंत्रण की प्रक्रिया को और अधिक मजबूत बनाने तथा तकनीक के व्यावहारिक प्रशिक्षण की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने नशा तस्करों के विरुद्ध संयुक्त एवं समन्वित कार्रवाई पर भी बल दिया।

प्रदेश के बागवानों और फल उत्पादकों को पैकेज सामग्री में 6 प्रतिशत की राहत

शिमला/शैल। प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें बागवानों और फल उत्पादकों को राहत प्रदान करते हुए 15 जुलाई, 2022 से एचपीएमसी के माध्यम से बिकने वाली पैकेज सामग्री कार्टन और ट्रे की खरीद पर 6 प्रतिशत उपदान प्रदान करने का निर्णय लिया गया। एचपीएमसी को इसके लिए 10 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान किया जाएगा।

मंत्रिमण्डल ने राज्य के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शैक्षणिक, कार्मिक और अकादमिक स्टाफ के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की संशोधित वेतनमान योजना को लागू करने को स्वीकृति प्रदान की। 01 जनवरी, 2016 से 31 मार्च, 2022 तक प्रदत्त संशोधित यूजीसी वेतनमान से अनुमानित 337 करोड़ रुपये का वित्तीय भार पड़ेगा। वर्ष 2021-22 के लिए इस मद में वार्षिक 113 करोड़ रुपये का अनुमानित व्यय होगा और चालू वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए यह 75 करोड़ रुपये होगा।

मंत्रिमण्डल ने राज्य में बस यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के दृष्टिगत स्टेज कैरिज बस सेवाओं के तहत पहले दो किलोमीटर तक न्यूनतम बस किराया वर्तमान 7 रुपये से घटा कर 5 रुपये करने को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने जल शक्ति विभाग में बेलदार के 452 पदों को पम्प ऑपरेटरों में बदलने और 31 दिसम्बर, 2020 तक 12 वर्ष या इससे अधिक नियमित सेवाकाल पूरा कर चुके जल रक्षकों, जिन्होंने शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं की है, उन्हें विभाग में शामिल करने का भी निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने राज्य के लोगों को सुविधा प्रदान करने के दृष्टिगत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन और गैर-राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 780 आशा वर्कर नियुक्त करने का निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने कमला नेहरू राज्य अस्पताल, शिमला के नवनिर्मित 100 बिस्तर क्षमता के मातृ एवं शिशु देखभाल विंग के लिए विभिन्न श्रेणियों के 164 अतिरिक्त पद सृजित कर, भरने को स्वीकृति प्रदान की ताकि माताओं एवं शिशुओं को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा सकें।

मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश लोकल ऑडिट विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 54 पद सृजित कर, भरने को भी स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने राज्य में विभिन्न विभागों की विकासात्मक गतिविधियों से सम्बन्धित निर्णयों और योजना में स्थानिक और भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी के उपयोग के दृष्टिगत आर्यभट्ट जियो इन्फॉर्मेटिक्स एण्ड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर को राज्य नोडल एजेंसी घोषित करने का निर्णय लिया। यह केन्द्र सतत विकास में इस प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा तथा राज्य में प्राकृतिक संसाधनों से सम्बन्धित डेटा इत्यादि के संग्रहक के रूप में भी सेवाएं प्रदान करेगा।

मंत्रिमण्डल ने गृह रक्षक कर्मियों के रैंक भत्ते में बढ़ौतरी की भी स्वीकृति प्रदान की। इससे अब कम्पनी कमाण्डर को 30 रुपये के स्थान पर 50 रुपए प्रतिदिन, वरिष्ठ प्लाटून कमाण्डर/प्लाटून कमाण्डर को 24 रुपये के स्थान पर 40 रुपये, हवलदार को 18 रुपये के बजाए 30 रुपये और सैवशन लीडर को 12 रुपये के स्थान पर 20 रुपये रैंक भत्ता मिलेगा।

मंत्रिमण्डल ने नए पुलिस जिला नूरपुर के सृजन को भी स्वीकृति प्रदान की, जिसका मुख्यालय कांगड़ा जिला के नूरपुर में होगा। इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 39 पद सृजित कर, भरने को भी

स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने शिमला जिला में लोक निर्माण विभाग के चौपाल मण्डल के अंतर्गत सराहां में नया उपमण्डल खोलने तथा इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 6 पद सृजित कर, भरने को भी स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने किन्नौर जिला के रिकांगपिओ में लोक निर्माण विभाग के राष्ट्रीय राजमार्ग का नया उपमण्डल खोलने तथा रिकांग पिओ और शॉनटॉंग में दो नए अनुभाग खोलने तथा इनके लिए विभिन्न श्रेणियों के 8 पद सृजित कर, भरने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में उद्योग विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से एक्सटेंशन अधिकारी (उद्योग) के 10 पद अनुबंध आधार पर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिला के डीम कटारू, धरोट, सरोआ, बागा चनोगी, मुराह और सैंज तथा कुल्लू जिला के मंगलौर में नव सृजित 7 सिल्क वर्म रियरिंग केन्द्रों के लिए माली/बेलदार के 7 पद भरने की स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में मण्डी जिला के करसोग क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ततापानी में विज्ञान की कक्षाएं शुरू करने और विद्यालय में अनुबंध आधार पर स्कूल प्रवक्ता के 3 पद सृजित कर, भरने की स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने चम्बा जिला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जडेया, मंगला और भाडल में नॉन मेडिकल संकाय की कक्षाएं प्रारम्भ करने और इनके लिए अनुबंध आधार पर प्रवक्ता के 7 पद सृजित करने को भी मंजूरी प्रदान की।

बैठक में सोलन जिला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय घरेड़ में नॉन मेडिकल की कक्षाएं शुरू करने और इसके लिए अनुबंध आधार पर प्रवक्ता के 3 पद सृजित कर, भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने सिरमौर जिला के पांवटा साहिब शैक्षणिक खण्ड के अंतर्गत गुजर बस्ती छालुवाला गांव और शिलाई विधानसभा क्षेत्र में शैक्षणिक खण्ड बकरास के अंतर्गत हलान्हा गांव में नये प्राथमिक विद्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में चम्बा जिला के चुराह विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत खंगुरा एवं गढ़ गांव तथा चम्बा विधानसभा क्षेत्र के बांगबेही गांव में नये प्राथमिक विद्यालय खोलने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने सिरमौर जिला के पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र के गौड़पुर और किशनकोट में नये प्राथमिक विद्यालय खोलने को भी स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिला के राजकीय स्नातक महाविद्यालय, थुरल में शैक्षणिक सत्र 2022-23 से विज्ञान विषय की कक्षाएं शुरू करने और इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिला के नूरपुर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सुखड़ के गांव सुखड़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने और इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 3 पद सृजित कर, भरने की स्वीकृति भी प्रदान की।

बैठक में कांगड़ा जिला के अरला और बलोटा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने एवं विभिन्न श्रेणियों के छः पद सृजित कर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिला के नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में फन्तू-का बाग में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने और तीन पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया।

बैठक में राज्य में खाद्य प्रशासन सुदृढ़ करने के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा एवं नियामक विभाग में सहायक आयुक्त और खाद्य सुरक्षा अधिकारी के तीन पदों

को सृजित करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिला के शाहपुर में उप-रोजगार कार्यालय खोलने और आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने पशुपालन विभाग में अनुबंध के आधार पर रेडियोग्राफर और प्रयोगशाला तकनीशियन का एक-एक पद भरने के अलावा विभाग में अनुबंध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के दो पदों को भरने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने कुल्लू जिला के बंजार क्षेत्र में पशु औषधालय बाहु को पशु अस्पताल में स्तरोन्नत करने और इसके सुचारू संचालन के लिए तीन पद सृजित कर उन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की। इससे क्षेत्र की लगभग सात पंचायतें लाभान्वित होंगी।

बैठक में ऊना जिला की बदेरा, मंडी जिला के कोट कमराडा, कांगड़ा जिला के कंदरोड़ी और कोरोआ के पशु औषधालयों को पशु अस्पतालों में स्तरोन्नत करने और इन नव स्तरोन्नत पशु अस्पतालों के संचालन के लिए 12 पदों को सृजित कर भरने को मंजूरी प्रदान की।

बैठक में मंडी जिला की थुनाग तहसील की ग्राम पंचायत झुंडी के रोपा में नए पशु औषधालय को खोलने और इसके सुचारू संचालन के लिए दो पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने मंडी जिला के टिपरा में नया पशु औषधालय खोलने और इसमें आवश्यक पदों को सृजित कर उन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में कांगड़ा जिला के नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव मेहकर और गांव खेल तथा शिमला जिला के चौपाल विधानसभा क्षेत्र के गांव चौपाल में नए आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने को मंजूरी प्रदान की। इनके सुचारू संचालन के लिए नौ पदों को सृजित कर भरने के लिए भी मंजूरी प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने लाहौल-स्पीति जिला के उदयपुर में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में मैकेनिक डीजल, फिटर, पम्प अ पारेटर कम मैकेनिक, स्टैनोग्राफर और सेक्रेटेरियल असिस्टेंट अंग्रेजी के नए ट्रेड शुरू करने और विभिन्न श्रेणियों के आवश्यक पदों को सृजित कर उन्हें भरने की स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में चंबा जिला के भटियात विधानसभा क्षेत्र के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गरनोटा में मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड शुरू करने को भी स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में प्रदेश में द्वितीय राजभाषा संस्तर का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए भाषा कला एवं संस्कृति विभाग में संस्कृत अनुभाग सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में सोलन जिला के अकह क्षेत्र के सायर मेले को राज्य स्तरीय मेले का दर्जा प्रदान करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में लाहौल-स्पीति जिला के त्रिलोकनाथ मेले को भी राज्य स्तरीय मेले का दर्जा प्रदान किया गया।

मंत्रिमण्डल ने मंडी जिला के औट पुलिस थाने के तहत गाड़गुशैणी में नई पुलिस चौकी खोलने को स्वीकृति प्रदान की। इसके संचालन के लिए छः पद सृजित कर उन्हें भरने की स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में कांगड़ा जिला के पुलिस थाना भवारना के तहत अस्थाई पुलिस चौकी धीरा को स्थाई पुलिस चौकी में परिवर्तित करने के साथ छः पद सृजित कर उन्हें भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में मंडी जिला की पुलिस चौकी रिवाल्सर को पुलिस थाने में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया। इसके संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के आठ पदों को सृजित कर भरा जाएगा।

मंत्रिमण्डल ने बिलासपुर जिला के ब्रह्मपुरखर में पुलिस थाना खोलने और इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। पुलिस चौकी नम्होल इस पुलिस थाने के अन्तर्गत कार्य करेगी।

बैठक में मंडी जिला में अस्थाई पुलिस चौकी डैहर को स्थाई पुलिस चौकी में परिवर्तित करने और इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के छः पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।

बैठक में कांगड़ा जिला में अस्थाई पुलिस चौकी थुरल को स्थाई पुलिस चौकी में परिवर्तित करने और इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के छः पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने सिरमौर जिले के शिलाई में उपमंडल पुलिस अधिकारी का नया कार्यालय खोलने सहित छः पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिले की तहसील धीरा के डाकघर व गांव चम्बी में अछरू-भरोह-चम्बी-चिड़न-लाहड़-ठाकरा सड़क का नामकरण स्वर्गीय सूबेदार गेंदा राम चौधरी की स्मृति में स्वर्गीय सूबेदार गेंदा राम चौधरी सड़क करने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में सिरमौर जिला के खोदोनावाला/गोरखवाला में लोक निर्माण विभाग का नया उप-मंडल खोलने तथा आवश्यक पदों के सृजन के साथ उन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में कांगड़ा जिला के ज्वालामुखी में लोक निर्माण विभाग का नया मंडल खोलने तथा इस मंडल के सुचारू क्रियान्वयन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों के सृजन कर उन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में शिमला जिला के ननखड़ी में लोक निर्माण विभाग का नया मंडल तथा खोलीघाट में उप-मंडल खोलने सहित आवश्यक पदों के सृजन तथा भरने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने यात्रियों को आरामदायक एवं सुरक्षित यात्रा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम द्वारा 360 बसों के स्थान पर 397 बसों की खरीद करने को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने ऊना जिला की गगरेट विधानसभा क्षेत्र के दियौली में क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए दस बिस्तरों की क्षमता का स्वास्थ्य संस्थान खोलने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में सिरमौर जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सेनवाला सुबारिकपुर, त्रिलोकपुर और पजाहल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्तरोन्नत करने सहित आवश्यक पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने मंडी जिला के राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय नेरचौक को पोस्ट बेसिक बी.एस.सी नर्सिंग और एम.एस.सी नर्सिंग पाठ्यक्रम 30-30 सीटों के साथ आरम्भ करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने की मंजूरी दी।

बैठक में लोगों की सुविधा के लिए कांगड़ा जिला के तंग में जल शक्ति विभाग का नया उप-मंडल खोलने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में कांगड़ा जिला के जल शक्ति मंडल देहरा के अन्तर्गत मझीण में नया जल शक्ति उप-मंडल खोलने सहित आवश्यक पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने बिलासपुर जिला के श्रीनैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र के कोठीपुरा में जल शक्ति विभाग का नया मंडल खोलने सहित आवश्यक पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में ऊना जिला के थानाकलां

में नया उप-मंडल मुदा संरक्षण कार्यालय खोलने सहित आवश्यक पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने शिमला जिले की जुन्ना तहसील के शतलाई क्षेत्र में नया पटवार वृत्त खोलने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में ऊना जिला की गगरेट उप-तहसील के अन्तर्गत क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए नया पटवार वृत्त गुगलीहार खोलने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में मंडी सेन्ट्रल जोन में बन्दोबस्त मंडल सृजित करने और इसके लिए आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। इस नए बन्दोबस्त मंडल के अन्तर्गत पांच जिले मंडी, कुल्लू, हमीरपुर, बिलासपुर और लाहौल-स्पीति शामिल होंगे।

मंत्रिमण्डल ने क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए धिम्मी पटवार वृत्त को तहसील लम्बलू से तहसील बमसन (टौणी देवी) में स्थानांतरित करने को अनुमोदन प्रदान किया।

मंत्रिमण्डल ने सिरमौर जिला की तहसील नाहन के चुड़ान में बांटलिंग प्लांट स्थापित करने के लिए मै. हाई स्परिटस फूड बिजनेस के पक्ष में आशय पत्र की अवधि को 31 मार्च, 2023 तक बढ़ाने को मंजूरी प्रदान की।

बैठक में शिमला जिला में ठियोग नगर के योजनाबद्ध विकास के लिए ठियोग योजना क्षेत्र के पुनर्गठन को मंजूरी प्रदान की।

बैठक में ऊना जिला के टाहलीवाल में नया पशु अस्पताल खोलने का निर्णय लिया गया और कांगड़ा जिला के ख्यानपट स्थित पशु औषधालय चन्दरोपा को पशु अस्पताल में स्तरोन्नत करने और इसका नाम कैप्टन आत्मा राम पशु अस्पताल रखने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिला के इन्दौरा विधानसभा क्षेत्र में सानियाल और सुरजपुर में नए आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने तथा इनमें आवश्यक पदों को सृजित करने तथा उन्हें भरने का अनुमोदन किया।

बैठक में कांगड़ा जिला के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हरचकिया में आवश्यक पदों सहित इलैक्ट्रिशियन, वैल्डर, मैकेनिक रैफिजेशन और एयर कंडिशनिंग एवं ड्यूइंग टेक्नॉलजी के चार नए ट्रेड आरम्भ करने का अनुमोदन किया गया।

मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में विभिन्न श्रेणियों के 51 पद सृजित कर उन्हें भरने की अनुमति प्रदान की।

बैठक में राष्ट्रीय कृषि बाजार (ईएनएएम) पोर्टल के तहत पंजीकृत व्यापारियों को बाजार शुल्क/उपयोगकर्ता शुल्क में 10 प्रतिशत छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने राज्य में कार्यरत विभिन्न कर्मचारियों के मामलों पर विचार के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश कर्मचारी/अन्य कामगार कल्याण बोर्ड का मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पुनर्गठन करने का भी निर्णय लिया, जिससे कि बेहतर शासन एवं प्रदर्शन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

बैठक में चम्बा जिला में छोटे बच्चों की सुविधा के दृष्टिगत गुवाड़, भुज्जा, साहलू, धनोटी, ताड़ी, खलोह और बयाला में नई प्राथमिक पाठशालाएं खोलने को अनुमोदन प्रदान किया गया।

मंत्रिमण्डल ने चम्बा जिला में राजकीय प्राथमिक पाठशाला अन्दवास, लक्कड़ मण्डी, सिरमौर जिला में राजकीय प्राथमिक पाठशाला राजपुर और मण्डी जिला में राजकीय प्राथमिक पाठशाला गाहर को राजकीय माध्यमिक पाठशालाओं में स्तरोन्नत करने और आवश्यक पदों के सृजन और उन्हें भरने की अनुमति प्रदान की गई।

शेष पृष्ठ 7 पर.....

प्रधानमंत्री ने उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य-ऊर्जा @2047 के समापन समारोह में भाग लिया

शिमला/शैल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से 'उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य-पावर@2047' कार्यक्रम के

वितरण क्षेत्र योजना का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य डिस्कॉम और विद्युत विभागों की परिचालनागत क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार



समापन के ग्रैंड फिनाले इवेंट में भाग लिया। हिमाचल प्रदेश में, मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने मंडी के थुनाग में नन्द लाल शर्मा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एसजेवीएन के साथ समारोह की अध्यक्षता की। इस सुअवसर पर गीता कपूर, निदेशक (कार्मिक) एसजेवीएन, पंकज डडवाल, प्रबंध निदेशक, एचपीएसईबी सहित एसजेवीएन एवं राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। नन्द लाल शर्मा ने अवगत कराया कि वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान, प्रधानमंत्री ने विद्युत मंत्रालय की सर्वोत्कृष्ट नवरूपित विद्युत

करना है। उन्होंने 5200 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न हरित ऊर्जा परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में राष्ट्र की तीव्रता से होती उन्नति में विद्युत क्षेत्र की भूमिका पर प्रकाश डाला। सम्पूर्ण भारत में बिजली महोत्सव की सफलता ने जनता के मध्य विद्युत क्षेत्र की अभूतपूर्व पहल के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा की है। उन लगभग 18,000 गांवों में जिनमें पहले बिजली नहीं पहुंची थी उनमें अंतिम छोर तक बिजली पहुंच सुनिश्चित करना

सरकार की आम जनता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पीएम कुसुम योजना जैसी प्रभावी योजनाओं से किसान अपनी आय में बढ़ोतरी करने में सक्षम हुए हैं।

प्रधानमंत्री ने भारत के विभिन्न राज्यों के विद्युत क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं से लाभ उठाने वाले लाभार्थियों से भी वार्तालाप किया। लाभार्थियों ने अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु इन योजनाओं के सकारात्मक प्रभाव पर अपने अनुभव साझा किए। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी से पीएम कुसुम योजना के लाभार्थी हंस राज ने भी अपने जीवन का कायाकल्प होने के अनुभव को साझा किया।

नन्द लाल शर्मा ने कहा कि उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य अभियान 25 से 30 जुलाई 2022 तक देश के सभी 773 जिलों में आयोजित किया गया। एसजेवीएन हिमाचल प्रदेश और पंजाब के लिए नोडल एजेंसी थी, इसके अलावा हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार और गुजरात के विभिन्न जिलों में बिजली महोत्सव का आयोजन भी किया गया। एसजेवीएन ने हिमाचल में 24 स्थानों, पंजाब में 46 स्थानों, हरियाणा में 12 स्थानों, बिहार में 2 स्थानों, गुजरात में 2 स्थानों और महाराष्ट्र में 2 स्थानों के साथ देश भर में 88 बिजली महोत्सव का आयोजन किया।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में विश्व बैंक मिशन के साथ बैठक आयोजित

शिमला/शैल। विश्व बैंक की ओर से वित्त पोषण के लिए एक कार्यक्रम विकसित करने की सम्भावनाएं तलाशने के दृष्टिगत प्रदेश के दो दिवसीय दौर पर पहुंचे विश्व बैंक मिशन की एक बैठक मुख्य सचिव आर.डी. धीमान की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न सचिवों एवं विभागध्यक्षों ने भाग लिया।

विश्व बैंक के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष के इस वर्ष मार्च माह में राज्य के दौरे के उपरान्त अब विश्व बैंक ने हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ संस्थागत, योजना एवं नियामक उपायों पर कार्य करने की इच्छा व्यक्त की है। इनमें राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना में सूचीबद्ध प्राथमिकताओं का क्रियान्वयन, जलवायु सम्बन्धी खतरों के प्रति क्षमता में विस्तार तथा प्राकृतिक संसाधनों, विशेष तौर पर वन एवं जल संसाधनों का सतत प्रबन्धन शामिल है।

बैठक को सम्बोधित करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य ग्रीन एण्ड ग्रे बुनियादी ढांचा उपायों जिनमें वनीकरण, वनों के पुनर्स्थापन, लघु स्तर पर भूक्षरण नियंत्रण, बाढ़ नियंत्रण और नदी किनारे भू-स्वलन नियंत्रण कार्यों के लिए वित्तीय सहायता का इच्छुक है। इनमें नदी-नालों पर जल भण्डारण आधारभूत संरचना व्यवस्था, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, जलवायु और आपदा प्रतिरोध क्षमता को सुदृढ़ करने के दृष्टिगत ग्रामीण सड़कों का पुनर्स्थापन भी शामिल है।

उन्होंने कहा कि इस ग्रीन एण्ड ग्रे बुनियादी ढांचे के निवेश को कृषि

और चारागाह भूमि, टिकाऊ और जलवायु-स्मार्ट उत्पादन, चयनित मूल्य श्रृंखला संवर्द्धन और एकीकृत परिदृश्य दृष्टिकोण के साथ आजीविका विविधीकरण गतिविधियों के समर्थन सहित टिकाऊ प्रबन्धन प्रथाओं को अपनाने के साथ जोड़ा जा सकता है।

मुख्य सचिव ने कहा कि जलवायु परिवर्तन पर ध्यान केन्द्रित करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए राज्य में जल्द ही मिशन रजिस्ट्रार की शुरुआत की जाएगी।

अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, वित्त, योजना प्रबोध सक्सेना ने कहा कि विश्व बैंक ने हरित पहल के लिए राज्य का समर्थन किया है और इस तरह प्रदेश सरकार का हरित विकास से जलवायु लचीला हरित हिमाचल, की ओर बढ़ने का विचार है। पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग सभी हितधारक विभागों के साथ एकीकृत ढंग से समावेशी हरित लचीला हिमाचल की दिशा में हरित विकास पहल को आगे बढ़ाएगा। इन विषयों पर आधारित प्रारंभिक अवधारणा के अनुरूप विभिन्न हितधारक समूहों से सुझाव शामिल करने के लिए एक भागीदारी योजना प्रक्रिया का प्रस्ताव है। इससे राज्य की किसी भी नदी घाटी को विकसित करने के प्रति विभिन्न सरकारी एजेंसियों और स्थानीय हितधारकों के बीच समाधान के समन्वय और एकीकरण के लिए विस्तृत दृष्टिकोण पर एक अवधारणा भी बनेगी।

यह परियोजना तत्काल जरूरतों और दीर्घकालिक लाभों के बीच संतुलन

बनाते हुए ग्रीन एण्ड ग्रे बुनियादी ढांचे के बीच तालमेल के माध्यम से इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नदी घाटी में एक एकीकृत परिदृश्य प्रबन्धन दृष्टिकोण अपनाएगी। यह परियोजना अवधारणा के प्रमाण के रूप में नदी घाटियों का उपयोग कर पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में परिदृश्य के लचीलेपन और टिकाऊपन के लिए एक क्षेत्रीय कार्यक्रम को गति प्रदान करेगी।

निदेशक पर्यावरण विभाग ललित जैन ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से विश्व बैंक राज्य को नदी बेसिन परिदृश्य को बढ़ाने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता करने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि परियोजना अवधारणा नोट पर विश्व बैंक के दल के साथ एक सहयोगी परिदृश्य प्रबन्धन दृष्टिकोण में विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। इनमें जलग्रहण संरक्षण व्यवहार्यता, प्राकृतिक खतरों पर जलवायु प्रभाव शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी रणनीति को लागू करने के लिए आवश्यक संस्थागत निर्माण, निगरानी और मूल्यांकन सहित सभी सम्बन्धित गतिविधियां शामिल हैं।

25 एवं 26 जुलाई को राज्य के दो दिवसीय दौर पर आए विश्व बैंक के इस मिशन में वरिष्ठ पर्यावरण विशेषज्ञ एवं विश्व बैंक की ओर से मिशन समन्वयक पीयूष डोगरा, मुख्य आपदा प्रबन्धन विशेषज्ञ दीपक सिंह, सतत विकास कार्यक्रम लीडर आदर्श कुमार, मुख्य पर्यावरण विशेषज्ञ तपस पॉल, वरिष्ठ पर्यावरण अर्थशास्त्री पाबलो बेनितेज, मुख्य जल विशेषज्ञ जूप स्तोत्जेजिज्क एवं वरिष्ठ जल संसाधन विशेषज्ञ अंजू गौड़ शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए प्रदेश पुलिस को बधाई दी

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश पुलिस के बैंड, हार्मनी ऑफ द पाइन्स, को प्रतिष्ठित दादा साहिब फाल्के अन्तरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 में प्रस्तुति देने के लिए चयनित होने पर प्रदेश पुलिस और पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू को बधाई दी

है। यह आयोजन 20 फरवरी, 2023 को मुम्बई में होगा। जय राम ठाकुर ने कहा कि यह राज्य के लिए गौरव का विषय है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस बैंड को इस आयोजन के लिए चयनित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन पुलिस का मनोबल बढ़ाने में दूरगामी भूमिका निभाएंगे।

रोबोटिक सर्जरी गंभीर रोगों के उपचार के लिए बेहतर विकल्प

शिमला/शैल। फोर्टिस अस्पताल मोहाली में रोबोटिक सर्जरी टीम ने यूरोलॉजी, गायनोकोलॉजी, कैंसर, सिर, गर्दन और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का दुनिया के सबसे उन्नत चौथी पीढ़ी के रोबोट-दा विंकी शी के माध्यम से उपचार में क्रांति ला दी है। डॉक्टरों की टीम ने

सर्जरी-फाइब्रोएड, एंडोमेट्रियोसिस, वसिको-वेजाइनल फिस्टुला, ओवेरियन सिस्ट, सलिपिंगो-ओओफोरेक्टॉमी, मायोमेक्टोमी, हिस्टेरेक्टॉमी और गर्भाशय, अंडाशय और गर्भाशय ग्रीवा के सभी कैंसर रोबोटिक सर्जरी के जरिए किए जा सकते हैं।



बताया कि अब तक फोर्टिस मोहाली में 300 से अधिक जटिल रोबोटिक सर्जरी सफलतापूर्वक की जा चुकी है।

रोबोटिक सर्जरी को यूरोलॉजिकल-प्रोस्टेट सर्जरी स्त्री रोग संबंधी सर्जरी के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड उपचार के रूप में स्थापित किया गया है। उन्नत शल्य चिकित्सा प्रक्रिया में परंपरागत सर्जरी की तुलना में बेहतर नैदानिक परिणाम हैं क्योंकि यह कम रक्त हानि, कम दर्द, कम जख्म, कम अस्पताल में रहना और तेजी से ठीक होने को सुनिश्चित करता है।

फोर्टिस अस्पताल मोहाली के प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग की डायरेक्टर डॉ. स्वप्ना मिश्रा, जो एक रोबोटिक लेप्रोस्कोपिक और कैंसर सर्जन भी हैं, ने बताया कि सभी स्त्री रोग संबंधी

डॉ. मनीष आहूजा, सीनियर यूरोलॉजिस्ट, यूरोलॉजी विभाग, रोबोटिक और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, फोर्टिस मोहाली ने बताया कि प्रोस्टेट पुरुष प्रजनन ग्रंथि है जो 50 साल की उम्र के बाद हार्मोनल परिवर्तनों के कारण बढ़ सकती है। कभी-कभी ये वृद्धि प्रकृति में कैंसर हो सकती है। हालांकि, अगर समय पर पता चल जाए तो ग्रंथि को हटाया जा सकता है और कैंसर का इलाज हासिल किया जा सकता है। रोबोटिक सर्जरी न्यूनतम इनवेसिव सर्जरी का नवीनतम रूप है और रोगी के शरीर में डाले गए एक विशेष कैमरे के माध्यम से ऑपरेटिव एरिया का 3डी व्यू प्रदान करता है। शरीर के जिन हिस्सों तक मानव हाथ से पहुंचना मुश्किल है, उन्हें रोबोट की मदद से 360 डिग्री घुमा सकते हैं।

प्रदेश के बागवानों और फल.....पृष्ठ 6 का शेष

बैठक में कांगड़ा जिला में राजकीय उच्च विद्यालय हरनोट, ननहार और प्रेई को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में स्तरोन्नत करने तथा आवश्यक पदों को सृजित कर उन्हें भरने की अनुमति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिला के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला इंदौरा और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जिया में विज्ञान की कक्षाएं (नॉन मेडिकल) तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मंगवाल में वाणिज्य कक्षाएं और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कंडी में विज्ञान की कक्षाएं आरम्भ करने और आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने सिरमौर जिला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बांदली डांडा में विज्ञान (नॉन मेडिकल) की कक्षाएं, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मिलाह में वाणिज्य और विज्ञान की कक्षाएं और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय टटियाना में विज्ञान की कक्षाएं आरम्भ करने का भी निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने हमीरपुर जिला के लझियाणा और सुलहारी में आयुर्वेदिक

स्वास्थ्य केन्द्र खोलने और आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया। बैठक में कांगड़ा जिले के कोटला, कोना, सोलन जिला के जाबल जमरोट, मण्डी जिला के बरोट और हमीरपुर जिला के बिझड़ी में नए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने और आवश्यक पद सृजित करने का निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने शिमला जिला के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चिड़गांव में इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर के दो नए ट्रेड आरम्भ करने एवं आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया।

बैठक में कांगड़ा जिला के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गंगथ में कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट तथा इलेक्ट्रिशियन के दो नए ट्रेड आरम्भ करने का भी निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने सिरमौर जिला के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बोगधार में कम्प्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के नए ट्रेड आरम्भ करने एवं आवश्यक पद सृजित कर उन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की।

सरकार की असफलताओं का कोई डैमेज कंट्रोल नहीं होता

शिमला/शैल। भाजपा ने अभी उर्मिल ठाकुर, चेतन बरागटा राकेश चौधरी की पार्टी में वापसी करवा कर यह सदेश देने का प्रयास किया है कि अब उन्होंने डैमेज कंट्रोल कर लिया है। पार्टी के जो कार्यकर्ता खीमीराम और इन्दु वर्मा के कांग्रेस में जाने से हताशा में आ गये थे उन्हें इस डैमेज कंट्रोल कवायद से क्या राहत मिली होगी और कितना मनोबल बढ़ा होगा यह तो आने वाला समय ही बतायेगा। लेकिन यहां विचारणीय अवश्य है कि क्या उर्मिल ठाकुर और चेतन बरागटा किसी अन्य दल में शामिल हो गये थे? शायद नहीं क्योंकि उर्मिल ठाकुर का कांग्रेस में जाना नाममात्र का ही रही है। यह घर के नाराज लोग अब घर वापस आ गये हैं बस इतनी सी उपलब्धि है। जबकि असली समस्या उन लोगों की है जो 2017 के चुनाव तक पार्टी के बड़े चेहरे माने जाते थे और 2017 के बाद उन्हें ऐसे भुला दिया गया कि यह शायद कभी इस संगठन का हिस्सा ही नहीं थे। इन्हीं लोगों के लिये यह खबरें प्लांट होती रही कि दो दर्जन से भी अधिक पुराने प्रत्याशियों को टिकट नहीं दिये जायेंगे। यह कारण है कि इस समय एक दर्जन से भी अधिक ऐसे

- जब प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा परोसा जा रहा है तो साथ ही कर्ज का क्यों नहीं
- जिस प्रदेश के हर आदमी की आय दो लाख है उस सरकार को कर्ज क्यों लेना पड़ रहा है
- कर्ज के सहारे रेवड़ीयां कब तक बंटेंगी?

लोगों ने हर हालत में अगला चुनाव लड़ने की परोक्ष/अपरोक्ष में घोषणा कर रखी है। राकेश चौधरी के वापसी भाजपा में आने पर संजय शर्मा ने जिन तवरों से पत्रकार वार्ता के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दी है वह भविष्य को लेकर बड़ा संकेत है। क्योंकि इसी डैमेज कंट्रोल की कवायद के बाद भी जसवां परागपुर से क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के सदस्य रहे मुकेश कुमार ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। आज अधिकांश मंत्रियों के खिलाफ संघ के पुराने लोगों ने ही बगावत का बिगुल बजा दिया है। ऊना में वीरेन्द्र कंवर के खिलाफ संघ के संस्थापक रहे स्व. वेद रत्न आर्य के परिवार ने ही बगावत कर दी है। प्रशासन पर सरकार की पकड़

कितनी है इसका अनुभव ऊना में भी सतपाल सत्ती को उस समय हो गया जब उन्हें डेड बॉडी वैन तक प्रशासन उपलब्ध नहीं करवा पाया। ऐसे प्रकरण लगभग हर चुनाव क्षेत्र में घट चुके हैं।

आज मुख्यमंत्री चुनावों के परिदृश्य में हर चुनाव क्षेत्र में करोड़ों की योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं। इन घोषणाओं का प्रदेश की जनता पर कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ सकेगा। क्योंकि यह प्रदेश की जनता के सामने ही है कि जब केन्द्र द्वारा घोषित 69 राष्ट्रीय राजमार्ग अभी तक सिद्धांत से आगे नहीं बढ़ पाये हैं तो मुख्यमंत्री की घोषणाओं को पूरा होने में तो दशकों लग जायेंगे। आज सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के सम्मेलन बुलाकर उन्हें

अपरोक्ष में यह कहा जा रहा है कि इस लाभ के बढ़ते तुम्हें अब भाजपा को वोट देना है। लेकिन इन लाभार्थियों से यह जानने का प्रयास किसी ने नहीं किया है कि इस महंगाई में उनका चूला कैसे जल रहा है? उनसे यह भी नहीं पूछा है कि उन्हीं के घर में बेरोजगार कितने हैं और क्या वह उज्जवला योजना में मुफ्त मिले गैस सिलिण्डर को आसानी से रिफिल करवा पाये हैं।

अभी प्रधानमंत्री ने मुफ्ती योजनाओं को रेवड़ियां कहकर भविष्य के लिए घातक करार दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस पर कड़ी नाराजगी जताते हुए सरकार से इस संबंध में पॉलिसी बनाने के लिये कहा है। याचिकाकर्ता ने सुझाव दिया है कि जो

राज्य मुफ्ती की घोषणा करेंगे उन्हें कर्ज लेने की सुविधा न दी जाये। आज जयराम सरकार जिन लाभार्थियों के सम्मेलन आयोजित करने जा रही है क्या उन सम्मेलनों में इन लोगों को यह भरोसा दिला पायेगी कि प्रधानमंत्री की चेतावनी के बावजूद वह इन मुफ्ती योजनाओं को जारी रख पायेगी? क्या यह आश्वासन दे पायेगी कि वह इसके लिए जनता पर कर्ज का बोझ और नहीं डालेगी? आज सरकार जब प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा 201854 बता रही है तो इसके साथ प्रति व्यक्ति कर्ज का आंकड़ा क्यों नहीं बताया जा रहा है? जिस प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय दो लाख है उस पर देश को इतना कर्ज क्यों लेना पड़ रहा है? उस प्रदेश का राजस्व में कुल बजट का कैग के मुताबिक 90% क्यों हो गया है? यह वह सवाल है जिनका जवाब आने वाले दिनों में देना पड़ेगा। इन व्यवहारिक प्रश्नों से जब आम आदमी का वास्ता पड़ेगा तो वह सरकार को कितना समर्थन दे पायेगा? यह देखना रोचक होगा। इस परिदृश्य में स्पष्ट है कि लोगों की नाराजगी सरकार से है जिसे किसी भी डैमेज कंट्रोल से नहीं रोका जा सकता और न ही दूसरे दलों में तोड़फोड़ करना इसका हल है।

भाजपा और आप में सेन्ध मारी से ज्यादा आवश्यक है सरकार को मुद्दों पर घेरना

शिमला/शैल। हिमाचल में चुनावी मुकाबला जैसे जैसे भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर की ओर बढ़ता जा रहा है उसी अनुपात में भाजपा तथा आप से नेता कांग्रेस का हाथ थामने लग पड़े हैं। लेकिन भाजपा और आप में यह सेन्धमारी करना कांग्रेस का पार्टी स्तर पर सामूहिक रणनीतिक फैसला है या कुछ नेताओं का व्यक्तिगत प्रयास है यह सवाल राजनीतिक विश्लेषकों के लिये महत्वपूर्ण और दिलचस्प होता जा रहा है। क्योंकि बड़े स्तर का किसी भी दल का नेता दल बदल करते हुए यह पहले सुनिश्चित करता है कि दूसरे दल में जाकर उसके राजनीतिक हित सुरक्षित होंगे। कार्यकर्ता बनने के लिये केवल कार्यकर्ता ही दलबदल करता है स्थापित नेता नहीं। यह सवाल अभी ठियोग में इन्दु वर्मा के दलबदल करने के बाद कांग्रेस के भीतर उभरी प्रतिक्रियाओं से सामने आया है। अभी जो सेन्धमारी हुई है उसमें जिन नेताओं ने सक्रिय भूमिका अदा की है उसमें पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखविन्दर सिंह सुक्खू और वर्तमान अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह के नाम प्रमुख हैं। लेकिन जिन लोगों ने इन्दु वर्मा के शामिल होने पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं उनके तार भी हाईकमान से सीधे जुड़े हुए हैं यह भी

सबको जानकारी है। ऐसे में अभी से यह आशंकाएं भी उभरने लग पड़ी हैं कि सेन्धमारी की यह सक्रियता आगे चलकर कहीं हितों का टकराव न बन जाये। क्योंकि अभी तक कांग्रेस भाजपा और उसकी सरकार को मुद्दों पर नहीं घेर पा रही है। कांग्रेस का कथित आरोप पत्र जितना टलता जा रहा है उसको लेकर भी सवाल उठने लगे पड़े हैं।

अभी कांग्रेस जयराम सरकार को घेरने के लिये ठोस मुद्दे नहीं उठा रही है। बल्कि कांगड़ा के एक आयोजन में जिस तरह से युवाओं को ब्याज

मुक्त ऋण तथा एक लाख से अधिक नौकरियां उपलब्ध करवाने का वायदा किया गया है उससे मुफ्ती की भी झलक आने लगी है। इसी आयोजन में स्व. बाली को लेकर जिस तरह की टिप्पणी कांग्रेस प्रभारी की ओर से आयी है उसके बाद स्थिति प्रभारी और अनुराग ठाकुर के बीच रहे रिश्तों के जिक्र तक पहुंच गयी है। इसी में एक पूर्व कर्मचारी नेता की कुछ कांग्रेस नेताओं के साथ बढ़ती सक्रियता भी चर्चा का विषय बनती जा रही है। कुल मिलाकर जनता कांग्रेस से जितनी

ज्यादा उम्मीद लगाती जा रही है इसके नेता उतना ही आपस में उलझते जा रहे हैं। इसी का सहारा लेकर भाजपा कांग्रेस में एक बड़ी तोड़-फोड़ की विसात बिछाती जा रही है। एक वर्ग इस बात की वकालत में लग गया है कि कांग्रेस की सरकार बनने की स्थिति में नेतृत्व फिर जिला शिमला में ही रहना चाहिये। इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए स्व. वीरभद्र सिंह के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने विरोधियों को चुनावों में ही निपटा देने की रणनीति पर काम

करने को सुझाव दिये जाने लगे हैं। इसमें भी सबसे रोचक पक्ष यह है कि इस तरह की रणनीति अपनाने की वकालत वह लोग कर रहे हैं जो वैसे मोदी के नाम की माला जपते हैं।

इस तरह जो राजनीतिक वातावरण कांग्रेस नेतृत्व के गिर्द खड़ा किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं उसके अन्तिम परिणाम घातक हो सकते हैं। इस समय सेन्धमारी के प्रयासों से ज्यादा आवश्यक कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रदेश से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय करने की आवश्यकता है।

डॉ. राज बहादुर के अपमान पर आप की चुप्पी सवालों में

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में आप ने चुनाव लड़ने का ऐलान पंजाब की जीत से प्रोत्साहित होकर किया था। बल्कि इस जीत के बाद अरविन्द केजरीवाल हिमाचल के हर दौरे में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवन्त मान को अपने साथ लाते रहे हैं। लेकिन जैसे ही अनुराग ठाकुर ने आप में सेन्धमारी करके इसके संयोजक को भाजपा में लाकर खड़ा कर दिया तभी से आप के फैलाव पर रोक लगनी शुरू हो गयी। बल्कि अनुराग की सेन्धमारी के बाद प्रदेश कांग्रेस के

पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखविन्दर सिंह सुक्खू भी इसमें सक्रिय हो गये और उन्होंने आप के पूर्व संयोजक रहे निक्का सिंह पटियाल और कुछ अन्य नेताओं को कांग्रेस में लाकर खड़ा कर दिया। अब भाजपा ने धर्मशाला के राकेश चौधरी को आप से निकालकर अपने में शामिल करवा दिया है। स्मरणीय है कि पिछले विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर 16000 वोट लेने वाले राकेश ने अरविन्द केजरीवाल के सामने आप का दामन थामा था।

अब पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ने जिस तरह से हिमाचल के ऊना से ताल्लुक रखने वाले बाबा फरीद मैडिकल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. राज बहादुर को अपमानित किया है वह पूरे मैडिकल जगत में एक मुद्दा बन गया है। हर व्यक्ति इसकी निन्दा करते हुए पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री की बर्खास्तगी की मांग कर रहा है। हिमाचल में कांग्रेस और भाजपा ने इसको बड़ा मुद्दा बनाकर उछाला है। लेकिन हिमाचल की आप इकाई इस मुद्दे पर एकदम चुप्पी साध कर बैठ गयी है। जबकि हर हिमाचली

डॉ. राजबहादुर के इस अपमान को प्रदेश का अपमान कर पंजाब सरकार से सार्वजनिक क्षमा याचना करने की मांग कर रहा है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री का व्यवहार निश्चित रूप से निंदनीय है। लेकिन प्रदेश इकाई की इस चुप्पी यह दर्शाती है कि इसके किसी भी नेता में गलत को गलत कहने का साहस नहीं है। इससे यह भी सामने आता है कि आप का प्रदेश नेतृत्व कितना परिपक्व है। आप की चुप्पी पार्टी की सेहत के लिये घातक सिद्ध होगी यह तय है।